हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला-176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

12.12.2014/1100/SLS-JT-1

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया जाए।
अध्यक्ष : कहिए, क्या कहना चाहते हैं?
श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, वन कटान का जो विषय इस सत्र में शुरू से ही चल रहा है, मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूं। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध रहेगा कि चाहे वह तारादेवी का विषय है या चम्बा का विषय है , जो सरेआम यह काम करने वाले लोग या ठेकेदार हैं, आज विभिन्न अख़बारों ने उनके बारे में लिखा है 'भरमौर के जंगल में हरे पेड़ काटने वाले ठेकेदार का अमर ऊजाला से सनसनीख़ेज खुलासा' - 'पुलिस मेरे पीछे है पर मैं पहले मंत्री से मिलना चाहता हूं। ' मुख्य मंत्री महोदय, यह सारा कुछ छपा है। (व्यवधान)
Speaker : Hon. Member, not allowed, please. Not to be recorded. This is not the issue. अभी यह कोई इसू नहीं है। (व्यवधान) यह कोई इसू नहीं है।
Chief Minister : I will look into the matter.
अध्यक्ष : ऐसे तो अख़बारों में बहुत ख़बरें आती रहती हैं।
मुख्य मंत्री : मैंने आज का अख़बार नहीं पढ़ा है लेकिन आपने जो बात उठाई है, I will read the newspapers also and look into the matter.
अध्यक्ष : इस विषय पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी है और अब यह मामला है ही नहीं।। This is not on the agenda. अब यह विषय Business of the House में नहीं है।
श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर रही है। (व्यवधान)
अध्यक्ष : आपको कैसे पता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है ? माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं। इस तरह अख़बारों में तो बहुत कुछ आता है।
मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इनका यह कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, Government is already enquiring into this matter.

12.12.2014/1100/SLS-JT-2

Speaker : I will request all the Members that today is the last day of the Session and we should depart on a happy note.

श्री नरेन्द्र ठाकुर : (व्यवधान) सुजानपुर में सब-डिविजन का जो एस . डी. ओ. है, (व्यवधान)

Speaker : Not allowed. I will not allow it. If you have to say something I will give you time. Please sit down.

Question Hour.

प्रश्न ...श्री गर्ग जी के पास

12/12/2014/1105/RG/JT/1

प्रश्न सं. 1178

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज तक जितने भी प्रश्न स्थानान्तरण को लेकर इस विधान सभा में विभिन्न सदस्यों द्वारा पूछे गए हैं और जो प्रश्न हमने पूछे हैं वे स्पेसिफिक पीरियड के हैं। हमने कोई ऐसा नहीं पूछा है, न ही दिसम्बर, 2012 से 2014 तक पूछ रहे हैं , हम तो स्पेसिफिक पीरियड का प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए जब स्पेसिफिक पीरियड की सूचना मांग रहे हैं , तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसमें उत्तर देने में सरकार या विभागों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मुख्य मंत्री : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि अभी भी सूचना पूर्ण रूप से नहीं आई है, **एकत्रित की जा रही है।** यह कोई बहस की बात नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस सूचना को टाइम-बॉण्ड कर दिया जाए।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना तैयार हो रही है। जब तैयार हो जाएगी, तो सूचना दे देंगे।

श्री महेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इस सूचना को टाइम-बॉण्ड कर दिया जाए। तैयार होगी, तो तैयार पांच साल तक नहीं होगी और पांच सालों तक ट्रांसफर होते रहेंगे , तो क्या पांच सालों तक सूचना तैयार ही नहीं होगी। फिर आप कहेंगे कि आगे और ट्रांसफर्ज हो गईं, इसलिए अभी सूचना तैयार नहीं है।

मुख्य मंत्री : बजट सत्र तक दे देंगे।

अध्यक्ष : ठीक है, इन्होंने कह दिया कि बजट में दे देंगे।

प्रश्न समाप्त

-/2

12/12/2014/1105/RG/JT/2

प्रश्न सं. 1452

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसके बारे में मैं कुछ जानकारी चाहता हूं कि उद्योग विभाग ने जो इण्डस्ट्रीयल एरिया इण्डस्ट्रीज डवलप करने के लिए प्रपोज किए थे उसमें दभोटा, पण्डोगा और कंद्रोड़ी ये तीन क्षेत्र लिए गए थे। इनमें से दो तो अप्रूव कर दिए गए हैं, लेकिन दभोटा अभी भी अण्डर प्रौसेस है , तो इसका क्या कारण है ? दूसरा, दभोटा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल कितनी जमीन इस प्रोजैक्ट में देनी है, शामलात जमीन, वन भूमि और निजी भूमि कितनी है और निजी भूमि का स्टेटस क्या है?

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के बजट भाषण के अनुरूप प्रदेश में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला हुआ था जिसमें से एक कांगड़ा जिले में कंद्रोड़ी, एक ऊना के पण्डोगा में और तीसरा सोलन के दभोटा में औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहे हैं। जहां तक जिस औद्योगिक क्षेत्र की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं , तो दभोटा इनके विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। हम ये तीनों औद्योगिक क्षेत्र सरकारी भूमि पर बनाने जा रहे हैं और कोई भूमि हम ऐक्वायर नहीं कर रहे हैं। **माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में 515 बीघा भूमि आईडैन्टीफाई हो गई है और इसके लिए एनवायर्नमेंट क्लीयरैंस का केस बनकर तैयार हो गया है। जैसे ही एनवायर्नमैंट क्लीयरैंस आएगी , वहां आद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा , प्लॉट्स वगेरह बनाए जाएंगे। क्योंकि यह माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का एक हिस्सा है । इसलिए आप आश्वस्त होकर चलें कि विभाग इस बारे में पूरी तरह गंभीर है और जैसे ही एनवायर्नमैंट क्लीयरैंस आती है , इसको इण्डस्ट्रीयल एरिया घोषित कर दिया जाएगा।**

श्री कृष्ण लाला ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब तो हो गया, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि हम वहां इण्डस्ट्रीयल एरिया डवलप करने जा रहे हैं।

प्रश्न समाप्त

अगला प्रश्न एम.एस. द्वारा शुरू

12/12/2014/1110/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1453

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, उसमें बताया गया है कि मु0 202.11 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है और 800 बसें खरीदने हेतु

क्रय आदेश जारी कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये बसें JNURM के तहत खरीदी हैं या अन्य किसी हैड से भारत सरकार से पैसा सैंक्शन हुआ है ? जो आपने कहा कि पैसा सैंक्शन हुआ, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे अभी पांच बसें आपने बाहर डिस्प्ले की थीं , जिनका मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने भी अवलोकन किया, क्या ऐसे ही डिजाइन की सारी बसें JNURM के तहत हिमाचल में आएंगी? मुझे लगता है कि ये बसें शहरों के लिए होंगी और वह भी उन शहरों के लिए जो दिल्ली और चण्डीगढ़ की तरह के होंगे। हिमाचल जैसे भौगोलिक परिस्थिति वाले पहाड़ी प्रदेश के जो शहर और गांव हैं , उनमें तो मुझे नहीं लगता कि ये बसें चल पाएंगी। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि जिस डिज़ाइन की बसें बनकर आ रही हैं, उनमें बदलाव हों। हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, यहां पर जिस तरह की सड़कों की अलाइनमैंट या सड़कों की स्थिति है, उसके अनुसार ही बसों का निर्माण या इसकी फैब्रिकेशन करने के बाद जो इसको पॉसिबल बनाना है, उसके अनुरूप बनाई जाएंगी? हम चाहते हैं कि जैसे HRTC की अन्य बसें हैं, उसी के अनुरूप इन्हें बनाया जाए। तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य गुलाब सिंह जी ने दो बातें कही हैं । एक बात इन्होंने पूछी है कि जो पैसा आया क्या वह इसी स्कीम के तहत आया? मैं इनको आश्वास्त करना चाहता हूं कि JNURM की पर्टिकुलर स्कीम के तहत पैसा आया है। जैसे परसों यहां कह रहे थे कि यह इन्होंने अपने समय में कर दिया था। मैं बताना चाहता हूं कि यह प्रोजैक्ट 10 अक्तूबर, 2013 को एप्रूव हो गया था। मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूं। 10 अक्तूबर, 2013 को भारत सरकार ने HRTC की जो प्रेजैंटेशन थी, जो हमने प्रोजैक्ट बनाकर दिया था, उसकी प्रशंसा करके हमें चिट्ठी लिखी कि आप बाकी देश के लोगों और वहां की कारपोरेशन्ज को भी बताओ कि ऐसे प्रोजैक्ट बनेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो इन्होंने पूछी, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो बसें कल

12/12/2014/1110/MS/AG/2

यहां देखी थी, ये तकरीबन 150 के करीब आएंगी और उसके बाद मिनी बसें आएंगी जिनकी लम्बाई इनसे काफी कम होगी। हमने भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये बसें प्लेन एरियाज के लिए ली हैं बाकी JNURM की जो स्पेसिफिकेशन है, हमने भारत सरकारी से time and again यह मैटर टेकअप किया था कि हमारी भौगोलिक

परिस्थितियां अलग है, इसलिए यहां ये बसें नहीं चल सकती। मगर उनकी स्पेसिफिकेशन्ज तय है। उसी में थोड़ा-बहुत चेंज करके जितना प्रयास हम कर सकते थे, किया। जो बसें आपने कल देखीं, वे प्लेन एरियाज में चलेंगी और जो मिनी बसें हैं, वे बाकी एरियाज में चलेंगी। इसकी एप्रूवल क्लस्टरवाइज है। हमने क्लस्टर बनाकर दिए हुए हैं। अगर उसकी सूचना चाहिए तो मैं वह भी दे सकता हूं।

श्री वीरेन्द्र कंवरः अध्यक्ष महोदय, जो 202.11 करोड़ रूपये की राशि है ये केन्द्र से विभाग को कब मिली और दूसरा , जो JNURM में फर्स्ट फेज में बसें खरीदी गईं, वे कितनी खरीदीं गईं तथा उनमें से किन-किन डिपुओं में कितनी-कितनी बसें दीं गई?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे जवाब दिया है, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 202.11 करोड़ रूपये की राशि कब प्राप्त हुई। अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास 90 करोड़ रूपये की राशि आई है और यह राशि 27 अक्तूबर, 2014 को आई है। मगर यह पैसा पहले सैंक्शन हो गया था और बजट में इसका प्रावधान था। उसके बाद स्कीम एप्रूव हुई। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। Government is in continuity. (व्यवधान) मैं जवाब दे रहा हूं। वह मैं कह रहा हूं कि 10 अक्तूबर, 2013 को प्रोजैक्ट एप्रूव हुआ। आपके समय में नहीं हुआ।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः सबमिटिड पहले था, एप्रूवल बाद में आई।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : वही तो मैं कह रहा हूं कि Government is in continuity.

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

12.12.2014/1115/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः1453---जारी-------

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः------जारी-----

90 करोड़ रूपया 27 अक्तूबर, 2014 को आया और बाकी पैसा अभी आना है। दूसरे आपने कहा कि डिपोवाईज़ बसें कितनी-कितनी आई ? अभी तो बसें आनी है। मुझे सब पता है और आप यह पूछें कि पहले कितनी बसें शिमला शहर के लिए आई हैं ? अगर आप शहर की बात कर रहे हैं वह सूचना अलग से है। यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 प्रोजैक्ट है और उसमें दूसरी बसें लाल रंग की हैं।

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी खुद भी कंफ्यूज्ड़ है और हाऊस को भी कंफ्यूज़ कर रहे हैं। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 में प्रथम चरण में कितनी बसें आई ? जे0एन0एन0यू0आर0एम0 को जो भारत सरकार की अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्टरी है वह देखती है। हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी इस योजना को अर्बन डवैल्पमैंट विभाग के माध्यम से प्रोजैक्ट रिपोर्ट गई है। अगर उसके माध्यम से प्रोजैक्ट रिपोर्ट नहीं गई तो माननीय मंत्री जी बताएं कि यह जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट है उसकी डी0पी0आर0 डायरैक्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट और एच0आर0टी0सी0 के माध्यम से गई है। यहां पर आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हमारी सरकार थी उस समय हमने अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्ट्री को यहां से लिखा था। मैंने परसों भी कहा था कि उस डी0पी0आर0 को बढ़ा करके जो अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्टर है और जो अर्बन डवैल्पमैंट डिपार्टमैंट हिमाचल प्रदेश सरकार का है उन्होंने इस मैटर को वहां पर उठाया और उठा करके फिर शहरी विकास मंत्रालय से अप्रूअल मिली। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं भारत सरकार के अर्बन डवैल्पमैंट मिनिस्टर, वैंकैया नायडू जी का उन्होंने 90 करोड़ रूपये की राशि हमारी सरकार को जारी की है, उसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं।

मैं, माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसे कि माननीय सदस्यों के साथ आपने पिछले कल यहां पर बसों की प्रदर्शनी लगाई तो क्या ये बसें हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए चलाई जा सकती है ? अगर नहीं चलाई जा सकती, तो क्या जो दूसरी बसें आप ले रहे हैं , उन बसों की एलोकेशन आप किस-किस प्रकार से किन-किन क्लस्टर के लिए कर रहे हैं ? आप उनको डिपुओं में नहीं कर सकते हैं। आप उनको किन-किन क्लस्टर में कर रहे हैं?

12.12.2014/1115/जेके/एजी/2

क्या उन बसों के संचालन के लिए भारत सरकार ने आपको कोई ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि आप no profit no loss पर इन बसों को चलाएंगे ? अगर ऐसा है तो उस पूरी नीति को आप सदन के पटल पर रखें।

अध्यक्षः आप लोग आम खाएं दरख्त न गिनें। माननीय सदस्य यह कह रहें हैं कि Government is in continuity.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा ज़वाब दे रहा हूं। मैं आप लोगों की पूरी तसल्ली करवाता हूं। आप केवल सुनते रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यू0पी0ए0 की श्रीमती सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब यह जे0एन0एन0यू0आर0एम0 चालू किया गया था। अब आप लोग सुन लो। आप लोग कह रहे हैं कि यह प्रोजैक्ट हमने भेजा था। उस समय किसकी सरकार थी? अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह ही रहा हूं कि Government is in continuity. रिखी राम कौंडल जी आप डिप्टी स्पीकर रहे हैं , आप बैठ कर नहीं बोलें। Government is in continuity. दूसरी बात मैंने डी0पी0आर0 के बारे में कही थी। गुलाब सिंह ठाकुर जी बोल रहे थे तो कितना अच्छा बोल रहे थे और कितने अच्छे आदमी है। आप लोग ज़वाब लेना ही नहीं चाहते है। जो डी0पी0आर0 गई वह स्टेट अथौरिटी ने भेजी।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1120/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1453 क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री क्रमागतः
स्टेट लेवल की अथोरिटी बनी, उस अथोरिटी ने भेजी। माननीय अध्यक्ष जी, बाकी इंफोरमेशन चाहिए तो विधान सभा में भी दे दूंगा और आर0टी0आई0 का सहारा लेना चाहें तो वह भी ले लें। पूरी इंफोरमेशन इनको मिल जायेगी कि कौन अधिकारी गए, कब गए और कब ये बनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिपुवाइज़ नहीं, मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहा। मैं सूचना पढ़ देता हूं ताकि इनकी पूरी तसल्ली हो जाए। मैंने अभी कहा कि ये बसें प्लेन में चलेंगी। बाकी मिडी बसें आयेंगी वे बाकी प्रदेश में चलेंगी। कलस्टर नम्बर-1 - ऊना-अम्ब-संतोखगढ़ 40 बसें , डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा-90 बसें। --(व्यवधान)--कांगड़ा मीन कांगड़ा। आप पहले पूरी डिटेल ले लो और फिर दोबारा सप्लीमैंटरी कर लेना। अभी मुझे रिप्लाई पढ़ने दें।। will reply to everything. कुल्लू-मनाली-30, नूरपुर-जसूर-30, मण्डी-सुन्दरनगर 100 बसें। आप पूरी तसल्ली कर लो। आपने नहीं बनाया। इसमें आपका धल्ले की कंट्रीब्यूशन नहीं है। यह 2013 में बना। --(व्यवधान)--चलो, फिर कांगड़ा का आपने बनाया। फिर क्यों पूछ रहे हो ? आपने क्यों झूठ बोलने का ठेका ले लिया। नाहन-पांवटा साहिब-20, --(व्यवधान)--जनाब सूचना दे रहे हैं। चम्बा-डलहौजी- 75 बसें। रामपुर-रोहडू 70 बसें, बैजनाथ-पपरोला-जोगिन्द्रनगर 80 बसें, नालागढ़-बद्दी-परवाणू-35, हमीरपुर-ज्वाला जी-90, बिलासपुर-घुमारवीं-सुन्दरनगर-50, शिमला-सोलन-90, ये सारे कल्स्टर में हैं। --

(व्यवधान)--अरे, देहरा कांगड़ा जिला में है या बाहर है ? अभी देहरा नहीं बना, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। --(व्यवधान)--नहीं छोड़ते भाई। मैंने जवाब दे दिया। आप सप्लीमैंटरी पूछ लें मैं उसका जवाब दे देता हूं।

अध्यक्षः माननीय धूमल जी, आप क्या बोलना चाहते हैं?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा निवेदन है कि आप ईयरफोन का कम इस्तेमाल करें क्योंकि आप इधर से हमारी आवाज़ नहीं सुनते।

अध्यक्षः ईयरफोन जब लाइव होगा तभी आपकी आवाज आ सकती है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि आपका ध्यान हमारी तरफ होता है और कल जब ये जवाब दे रहे थे तो हमारे सदस्य

12.12.2014/1120/SS-JT/2

को बड़ा उपदेश दे रहे थे कि बैठकर नहीं बोलते। अब आप क्या खड़े हैं ? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने मुझे लगता है जो डिटेल कलस्टर-वाइज़ सुनाई है, वह पूरी 800 बसों की डिस्ट्रिब्यूशन बोली है। अभी आपने कहा कि हमने कल पांच बसें देखीं। जिसका गेट पर गेअर अड़ गया था। वे बसें 150-180 आपके पास आयेंगी। जितनी लम्बी वे बसें हैं मैं समझता हूं कि हिमाचल के प्लेन एरिया में भी उनका चलना काफी मुश्किल होगा। ट्रैफिक हैजर्ड होगा। तो जो बाकी बसिज़ आ रही हैं क्या जिस तरह से शिमला में पहली खेप आई थी , जिसको आपने लाल बस का डिस्क्रिप्शन दिया। मंत्री जी आ जाएं तभी आगे कहूंगा अन्यथा इनको पता नहीं लगेगा कि सवाल क्या है। आपको तो मज़ा आ रहा है कि इनकी खिल्ली उड़ रही है। ये एंजोय कर रहे हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

12.12.2014/1125/केएस/ एजी/1

प्रश्न संख्या 1453 जारी----श्री प्रेम कुमार धूमल जारी----

ये एंज्वॉय कर रहे हैा। अध्यक्ष महोदय, मैं, मंत्री महोदय से पूछ रहा था कि जिस तरह से आपने शिमला में जो लाल बसें आई थी, जो इस वक्त आपके पास बड़ी 150 बसें आ रही है इन पर मेरा तो यह सुझाव रहेगा बाकी सरकार निर्णय करें कि इनको छोटी बसों में कन्वर्ट करवाएं क्योंकि कल हमने रोड़ पर एक बस क्रॉस की, उसमें ट्रैफिक नज़र ही नहीं आता कि उसके पीछे क्या आ रहा है, वह इतनी लम्बी बस है। इनको आप कहां-कहां क्लस्टरवाईज़ डीप्लॉय करेंगे, एक तो इसका उत्तर दीजिए

दूसरे, जो बाकी बसें आएंगी, जो आपकी छोटी बसें होगी , क्या वे उसी तरह की होंगी जिस तरह से शिमला में चलती है या हमारी ज्योग्राफिकल कंडिशन को देखकर आएंगी ? आप यहां की ज्योग्राफिकल कंडिशन के हिसाब से बसें मंगवाने की कोशिश करें और हम भी भारत सरकार से इसके बारे में कहने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये बसें दुर्घटना का ज्यादा कारण बनेंगी। इनका डिज़ाईन अगर हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडिशन के हिसाब से चेंज किया जाए तो बहुत बड़ी मदद एच.आर.टी.सी. के लिए भी होगी। बसों का बेड़ा भी बढ़ेंगा और इसके लिए अगर आप प्रयास करेंगें तो इससे निश्चित तौर पर लोगों को भी लाभ होगा। क्या आप ऐसा प्रयास करेंगें ? इन 150 बसों का क्लस्टरवाईज़ भी बताईए । इनको चेंज करने के लिए भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें कि इनको वापिस लें और किसी और स्टेट को दें, जहां प्लेन एरिया है और आपको हिमाचल की ज्याग्राफिकल कंडिशन के हिसाब से बसें दी जाए!

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, सुझाव अच्छा है दिल्ली में एन.डी.ए. की सरकार है । मैं भी जाऊंगा आपके साथ भी चलने को तैयार हूं। अगर वैंकैया नायडू जी बदल दें , महेन्द्र सिंह जी को भी ले चलेंगें। अगर इनकी स्पैसिफिकेशन बदल दें तो अत्यन्त खुशी होगी । मैं उनको अभी आने से रुकवा देता हूं , उनकी सप्लाई रुकवा देता हूं। आप बता दें कब चलना है । मैं चलूंगा और सीरियसली एक अटैम्पट कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर मैं बताना चाहूंगा कि यह सिटी ट्रांसपोर्ट की एक स्पैसिफिकेशन है । जो स्पैसिफिकेशन आपने कहा कि वहां आई है वह तो उसकी जगह सरकाघाट पहुंच गई है हमने यह कहा कि ये जहां आएगी जैसे अभी रवि जी कह रहे थे जैसे ही ये रिप्लेस करेंगें कई जगह पर बसों को हम एच.आर.टी.सी. की बसें निकालकर दूसरी जगह पर भेज देंगें। जो

12.12.2014/1125/केएस/ एजी/2

हमारे पास ऐडिशनल एच .आर.टी.सी. की बसें हो जाएंगी , उनको हम अपने जो स्पैसिफिकेशन की बसें हैं, उनको निकाल कर दूसरी जगह भेजेंगें और एडिशनल बसें देंगें आपको अगर 800 का बेड़ा बढ़ेगा मगर मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है यह तो कह दिया कि नो प्रोफिट नो लॉस **अंग्रेजी**---- यहां तो लॉस न हो उसके बारे में सोच रहें है। अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहता हूं कि ये मुझे विरासत में 580 करोड़ रुपए का घाटा दे कर गए थे । आज आप देख सकते हैं।

आपके समय में न पैंशने दी गई और न ओवर टाईम दिया गया था। यह हमने दिया आ कर ।

अध्यक्ष जी , जो माननीय धूमल जी ने कहा मैं उसके लिए तैयार हूं। एक कोशिश कर लेते हैं मगर एक बात और कहना चाहता हूं कि इस बस की लम्बाई और वोल्वो की लम्बाई और साईज एक जैसा ही है । वोल्वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सेम साईज़ है। यह सिर्फ एक नजरिया देखने का है जबकि वोल्वो की डिमांड आज हर आदमी , हर मैम्बर करता है। उनकी सेम जस्टिफिकेशन है मगर यह जो आपने कलस्टरवाईज कहा, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये मेन रोड़ पर परवाणू, बद्दी-बरोटीवाला , हरोली , ऊना , चिन्तपूरनी और और इधर आपके हमीरपुर से धर्मशाला तक नूरपुर, जवाली, देहरा और जोगिन्द्रनगर से, यानि जिस-जिस रोड़ पर आज वोल्वो चलती है, ये बसें भी चलने में समर्थ है ।

अगला प्रश्न अ0व0 की बारी में--

12.12.2014/1130/ag-av/1

प्रश्न संख्या : 1453---------- क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री (परिवहन मंत्री) :----- जारी जोगिन्द्रनगर से जहां से वॉल्वो चलती है, जिस-जिस रूट पर वॉल्वो चलती है; यह चलने में समर्थ है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने ऐसे कह दिया जैसे कि केंद्रीय मंत्री जी से अप्वाईंटमैंट मैंने लेनी है और फिर इनको मैं इनवाइट करुं। (---व्यवधान---) मैं, इसलिए क्योंकि let me put the record straight. आपने सहयोग मांगा नहीं है, हमने कहा है। हमने खुद प्रदेश हित में सहयोग ऑफर किया है। आप केंद्रीय मंत्री से अप्वाईंटमैंट लीजिए। हम 18 तारीख तक जम्मू-कश्मीर के चुनाव में व्यस्त है। उसके बाद जब भी आप कहेंगे हम प्रदेश हित के लिए आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं और इस बात का समर्थन करने को तैयार है। यदि मदद दी भी जाए और उससे प्रदेश को लाभ न हो तो उस मदद का कोई फायदा नहीं होगा। न ही उससे एच.आर.टी.सी. को कोई फायदा हो पायेगा। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आप प्रपोजल बनाये और मिलने का टाइम लें। उसके लिए प्रदेश हित में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपका समर्थन करेंगे। हम कहेंगे कि हमारी टोपोग्राफिकल कण्डिशन्ज ऐसी हैं कि हमें बसों का यह डिजाईन सूट नहीं करता। हमें पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार बसों का डिजाइन दिया जाए।

समाप्त

12.12.2014/1130/ag-av/2

प्रश्न संख्या : 1454

श्री बलदेव सिंह तोमर : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। इस सड़क से चार विधान सभा क्षेत्रों के लिए आवाजाही होती है जिसमें रोहड़ू, जुब्बल-कोटखाई, शिलाई और पांवटा साहिब शामिल हैं। मगर पिछले एक साल से इस सड़क की हालत बहुत खराब है। यहां पर विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में कहा गया है कि इस सड़क का पिछले एक साल से कार्य चला रहा है लेकिन वह बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी और कब तक है ? दूसरे, ठेकेदार अगर 60 किलोमीटर के पैच में एक साल में मात्र 1390 मीटर वह भी जी.- iii सिंगल लेयर के कार्य करता है तो इससे जाहिर होता है कि इस कार्य को पूर्ण करने के लिए 60 वर्ष का समय लगेगा। क्या मुख्य मंत्री जी इस कार्य को तुरंत पूर्ण करने के लिए विभाग को आदेश करेंगे? तीसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ठेकेदार द्वारा देरी किए जाने के कारण विभाग इस कार्य को रीसाइन करके नई निविदाएं आमन्त्रित करने जा रहा है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी जानते हैं कि यह सड़क नेशनल हाईवे है और इसका ठेका नेशनल हाईवे ऑथोरिटी द्वारा दिया जाता है। यह सही है कि सड़क के जिस पोर्शन का माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं, उस पोर्शन का कार्य करने वाले ठेकेदार का कार्य तसल्लीबख्श नहीं है। उस ठेकेदार न काम को पूरा करने में बहुत देर कर दी है। हमारी कोशिश है कि नेशनल हाईवे ऑथोरिटी के साथ बातचीत करके इस काम में तेजी लाई जाए। इस सारी सड़क पर सिर्फ पैच वर्क होना है और सरकार चाहती है कि उसकी मैटलिंग और टारिंग का काम जल्दी-से-जल्दी हो जाए।

समाप्त

12.12.2014/1130/ag-av/3

प्रश्न संख्या : 1455

श्री अजय महाजन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब भी फार्मर्ज रजिस्टर्ड होते हैं तो उनसे सीड मनी ली जाती है। फिर उनको एक सर्टिफाइड सीड दिया जाता है। ----------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

12.12.2014/1135/negi/ag/1

प्रश्न संख्याः 1455.. जारी..

श्री अजय महाजन... जारी...

और उनको सर्टिफाइड़ सीड़ दिया जाता है। उसके बाद फॉरमर्ज़ के खेतों में जा करके पीरियोडिकली इन्स्पैक्शन की जाती है और उनको बताया जाता है कि इसके ऊपर यह दवाई छिड़को या यह फर्टिलाइज़र डाल दो। उसके बाद उनसे सीड़ लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पहले जो उनको बिराइटी ऑफ सीड दी गई , वो कौन सी थी और कहां से प्रोक्योर की गई थी ? उसके बाद फॉरमर्ज़ की इन्स्पैक्टिंग का जो प्रोसैस था , क्या वह किया गया? अगर किया गया तो किस-किस डेट को की गई? जैसे नूरपुर के 113 फॉरमर्ज़ रजिस्टर्ड थे जिनमें से 9 फॉरमर्ज़ से सीड़ प्रोक्योर किया गया और फतेहपुर के 148 फॉरमर्ज़ रजिस्टर्ड थे और उनमें से 36 फॉरमर्ज़ से सीड प्रोक्योर किया गया। फिर इतना अन्तर कैसे आया जबकि बीज की बिराइटी सेम थी। The process of inspecting was the same. Then why the same was not procured?

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य जी ने पूछा है, फॉरमर्ज़ को सीड़ डिस्ट्रिब्युट किया जाता है और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है जिसके लिए उनको थोड़ी बहुत फीस भी देनी पड़ती है। जो यह करनाल बन्ट की बीमारी है, यह लेट मार्च और अरली अप्रैल में उस वक्त लगती है जिस वक्त बरसात होती है। उस वक्त जो उसके किटाणु होते हैं वह उड़ कर सीड़ के अन्दर डॉयरेक्ट जाता है। इसके लिए इन्स्पैक्शन करते हैं और इन्स्पैक्शन फरवरी में भी होती, मार्च में भी होती है और अप्रैल में भी होती है। यह जो करनाल बन्ट बीमारी है , यह वैदर बेसड़ है। इसका सीड़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो सीड़ दिया गया है , वह टैस्टिड था और ठीक दिया गया है। जहां तक इन्होंने कहा कि नूरपुर के इतने लोगों का बीज लिया और फतेहपुर में इतने फॉरमर्ज़ का बीज लिया। फतेहपुर का मैं मंत्री बैठा हुआ हूं और वहां पर मेरी भी कोई लिहाज़ नहीं की गई है। नूरपुर भी मेरा अपना ही है। नूरपुर में 73 फारॅमर्ज़ का बीज ठीक निकला और फतेहपुर में 68 फॉरमर्ज़ का सीड़ ठीक निकला है।

12.12.2014/1135/negi/ag/2

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 68 की फिगर कहां से दी है जबकि रिप्लाई में फतेहपुर का 36 दिया हुआ है और नूरपुर का 9 दिया हुआ है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने एक और बात कही , जो अभी चिट इनके पास आई कि ये नम्बर है। मैंने यह पूछा कि कि आपने सीड़ कहां से प्रोक्योर किया और कौन सी बिरायटी थी, तो इन्होंने कहा कि यह जो पर्टिकुलर थिंग है this is weather based. I won't understand. फतेहपुर और नूरपुर में कितना डिफरेंस है ? वैदर सेम ही होगा तो अगर फतेहपुर के फॉरमर्ज़ का सीड ठीक होगा तो नूरपुर के फॉरमर्ज़ का सीड भी ठीक होगा। जो फतेहपुर में 36 फॉरमर्ज़ से बीज प्रोक्योर किया गया है और नूरपुर से केवल 9 फॉरमर्ज़ से सीड़ प्रोक्योर किया गया है तो इतना डिफरेंस कैसे हुआ?

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जैसा इन्होंने कहा है कि out of 14 and 37 farmers, 9 and 36 farmers offered seed in Nurpur and Fatehpur area. नूरपुर के 9 फॉरमर्ज़ थे, जिनका सीड़ पास हुआ और फतेहपुर के 36 फॉरमर्ज़ हैं जिनका सीड पास हुआ है। जिन्होंने वहां पर ऑफर किया जहां हम सीड देते हैं यह उसमें डिफरेंस है। यह वाटर बेस्ड डिजिजड है। अगर नूरपुर और फतेहपुर में डिस्टैंस का डिफरेंस है तो फिर बारिश का भी तो वहां पर फर्क हो सकता है। कई बार नूरपुर में बारिश 10 दिन पहले होती है और फतेहपुर में 10 दिन बाद बारिश होती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या कभी किसी के साथ कोई भेदभाव कर सकता है कि किसी का सीड़ डिपार्टमैन्ट या एजैंसी रिजैक्ट करता हो, ऐसा नही होता है।

अध्यक्षः श्री अजय महाजन जी ,आप पूछना चाहते हैं? बोलिए आप।

श्री अजय महाजन : स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से गुज़ारिश करना चाहता हूं , क्योंकि यह खुद एक लीडिंग फॉरमर हैं। यह हमारे एरियाज़ की एकज्वाइंट प्रॉब्लम है। जो यह इस सारी प्रक्रिया शुरू हुई है , इसकी इन्क्वायरी करवाएं और खुद यह देखें कि यह क्यों हुआ ? क्योंकि हमारे गरीब किसान हैं, इन सभी किसानों ने मंहगी सीड़ लिया था। इसमें अकेडेमिक डिसकस न करके इसको आप प्रैक्टिकली देखें कि इसमें क्या हुआ है? तो मैं इनसे गुज़ारिश करूंगा कि इसकी इन्क्वायरी करवाएं।

12.12.2014/1135/negi/ag/3

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जिस वक्त सीड़ का टैस्ट होता है तो उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं किया जाता । बोरी में से ऐसे मुट्ठी भर अनाज़ उठा दिया जाता है और उसमें से 400 दाने गिने जाते हैं।.....

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

12-12-2014/1140/यूके/जेटी/1

श्री बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री --जारी-----

उसमें से 400 दाने गिने जाते हैं और 400 में से यदि एक भी दाना खराब निकलता है तो वह सीड बदल देते हैं । .25% अगर बीमारी वाला सीड है तो उसको ले लिया है । लकिन यदि उससे ज्यादा है तो नहीं लिया जाता है । उसके बाद वहां पर एक और तरीका है कि यदि फॉर्मर चाहे तो सैन्टर में ला कर उसको ग्रेड करवा सकता है और ग्रेड करवाने के बाद यदि उसका सीड ठीक निकलता है तो हम उसको भी ले लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है । जहां तक इन्क्वायरी का सवाल है, इस की क्या इन्क्वायरी होगी, पर करवा देंगे ।

प्रश्न समाप्त

12-12-2014/1140/यूके/जेटी/2

प्रश्न संख्या -1456

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से FRU का जिक्र जो मैं बार-बार करता हूं उसका मूल कारण यही है कि 47 पंचायतें हैं और लगभग 32 से 35 हजार लोगों को यह हास्पिटल फीड करता है । पीछे हम लोग दुर्घटनाओं पर बड़ी भारी चर्चा कर रहे थे । कुछ बच्चे, कुछ लेडीज़ और जितनी भी कैज़ुअल्टीज़ हुई हैं, वह इसीलिए हुई हैं क्योंकि वहां हमारा स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं रहता है । नम्बर दो, यह था अध्यक्ष जी कि गायनी डॉक्टर और चाईल्ड स्पेशलिस्ट न होने की वजह से जिन लोगों को तीसा से रैफर किया जाता है या जो 5-6 PHCs है, PHCs का भी इतना बुरा हाल है कि वहां पर या तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं हैं और कई बिल्डिंगे तो इनॉगरेशन के लिए रो रही हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से मूल रूप से यही प्रश्न था कि जब-जब दुर्घटनाएं हुई हैं, लोगों ने ख्वामखां में जानें गंवाई हैं । अगर कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहां पर बैठता तो उन 47 पंचायतों को कम से कम वहां पर ट्रीटमैंट किया जा सकता था और पिछले कई सालों से मांग चल रही है

और हमने तो यह भी सुना था कि FRU घोषित हुआ था और कुछ मशीनें टांडा शिफ्ट कर दी गयीं थीं , इस वजह से कि वहां पर स्पेशलिस्ट नहीं बैठते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी से यही निवेदन भी है और हाऊस के माध्यम से चुराह की जनता की तरफ से प्रश्न भी है कि क्या चुराह में FRU हो ही नहीं सकता ? इन्होंने लास्ट में कहा है कि इस के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो माननीय मंत्री जी कम से कम संवेदनात्मक तरीके से ही ये बोल देते कि भविष्य में हम इस संदर्भ में कोई विचार रखेंगे। यह तो बिल्कुल ही नकारात्मक तरीके से इन्होंने उत्तर दिया है। तो माननीय मंत्री जी क्या इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे ?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इनका प्रश्न है चुराह में कोई FRU है? तो मैं कहना चाहूंगा कि चुराह नाम की कोई जगह नहीं है। It is a valley. और सलूणी चुराह क्षेत्र में आता है, चुराह वैली में आता है। सलूणी में FRU खोला गया है। जब हमारी सरकार 2007 तक थी, हमने फैसला किया था कि नैश्नल रूरल हैल्थ मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना और उस वक्त हमने कि जितने FRU खोले थे वह ग्रामीण क्षेत्रों में खोले। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई। इन्होंने इस सारी पॉलिसी को भी चेंज कर दिया। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल को FRU

डिक्लेयर किया। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट लगे होते हैं। इस वक्त अध्यक्ष महोदय, हमारे पास स्पेशलिस्टों की कमी हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटलों में भी हमारे पास जितने स्पेशलिसट लगने चाहिए थे उतने उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि हमने सीटें बढ़ाई हैं लेकिन इस वक्त चम्बा में 5 FRU हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चम्बा, सिविल हॉस्प्टिल चुवाड़ी, सिविल हॉस्पिटल डलहौजी, CHC सलूणी और CHC भरमौर और उसमे जो लास्ट शर्त थी that all such places which serve the population of rural areas falling in that area, FRU will be sanctioned. लेकिन पीछे यह पॉलिसी बदली है। हम भी यह मामला उठाते रहे कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को FRU करें। अब दे सकते हैं क्योकि अब नैश्नल रूरल हैल्थ मिशन को नेश्नल हैल्थ मिशन डिक्लेयर किया है जिसमें इन क्षेत्रों को भी अब इसमें शामिल किया जा सके। यह ठीक है, तीसा में मैं भी कई बार

गया हूं वहां बड़ी विकट स्थिति है इस पर भी हम विचार करेंगे और निश्चित तौर पर डॉक्टरों की संख्या, इस वक्त वहां 50 डॉक्टर लगे हैं ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

12.12.2014/1145/SLS-JT-1

प्रश्न संख्या : 1456 ...क्रमागत

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ..जारी

निश्चित तौर पर एफ.आर.यू. के बारे में हम विचार करेंगे।

अध्यक्षः बी.के. चौहान जी, यह चुराह का प्रश्न है।

श्री बी .के.चौहान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह सूचित करना चाहूंगा कि पिछले लगभग एक साल से चम्बा में कोई गाइनेकोलोजिस्ट नहीं है। चम्बा में जो एक ऐनेस्थिसिया का डॉक्टर था, उसकी भी इन्होंने 3 महीने पहले बदली कर दी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं हंस राज जी के प्रश्न को सुपोर्ट करता हूं कि हमारे इन क्षेत्रों से मरीज या तो शिमला आते हैं या टाण्डा जाते हैं

अध्यक्ष : चौहान साहब, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। आप रैलेवैंट प्रश्न पूछिए।

श्री बी .के. चौहान : सर, यह एफ .आर.यू. से ही संबंधित प्रश्न है और चम्बा एफ.आर.यू. हॉस्पिटल डिक्लेयरड़ है, नोटिफाईड है। अगर एफ.आर.यू. चम्बा में ही स्पैसलिस्ट नहीं हैं तो बाकी जो दूर-दराज के क्षेत्र हैं, उनका क्या हाल होगा ? स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं चम्बा में उपलब्ध नहीं हैं। या तो हमें टाण्डा आना पड़ता है या शिमला या फिर पी.जी.आई. जाना पड़ता है। एफ.आर.यू. से जब केस रैफर होता है तो वह जिले से बाहर टाण्डा या दूसरी जगह भेज देते हैं। चम्बा के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने कहा कि 3 महीने पहले ही ऐनेस्थिसिया का डॉक्टर बदला है , हमने वहां पर ऐनेस्थिसिया के डॉक्टर को आऊटसोर्स किया है। जब ऑप्रेशन होना होता है , तो वहां एक प्राईवेट डॉक्टर है जिसने पी .जी. की है, उसको बुला लेते हैं। मैंने इस बात को एडमिट किया है कि हमारे पास स्पैसलिस्ट्ज की कमी है। हिमाचल प्रदेश में जितने स्पैसलिस्ट होने चाहिए, उतने नहीं हैं। अब हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। लगभग 125-130 डॉक्टर्ज को हम हर साल पी .जी करवा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि सब जगह स्पैसलिस्ट उपलब्ध हों। जहां तक चम्बा की बात है , चम्बा की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को देखते हुए, जब यू .पी.ए. सरकार थी, श्री गुलाम नबी आजाद जी हैल्थ मीनिस्टर थे, हमने व्यक्तिगत तौर पर उनसे

निवेदन किया। चम्बा वैसे भी जम्मू और डोडा के बॉर्डर पर है। हमने उनसे अनुरोध किया कि वहां एक मैडिकल कॉलेज खोला जाए ताकि इस क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मैं व्यक्तिगत तौर पर गुलाम नबी आजाद जी का धन्यवाद करना चाहूंगा; उन्होंने चम्बा के लिए मैडिकल कॉलेज स्वीकृत किया और उसके लिए 189 करोड़ रुपया भी मंजूर कर दिया। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो हमारे बैकवर्ड एरियाज हैं , जैसे तीसा है , ऐसे क्षेत्रों में जब भी संभव होगा, जब भी एफ.आर.यू. खोलने की बात होगी, इस पर भी विचार करेंगे।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का यह कहने का एक स्टाईल बन गया है कि जब 2007 तक ये सत्ता में थे तो बड़ा स्वर्णिम युग था और बाद में काला युग आ गया। आपने कहा कि NRHM में आपने सारे एफ.आर.यू. रूरल क्षेत्र में खोले थे। आपने वहां पर कितने स्पैसलिस्ट पोस्ट किए थे जो आपने लगाए और हमने हटा दिए? जो आपने अभी एफ.आर.यू. बताए, चाहे डलहौजी का है या भरमौर का है, ये सारे हैडक्वार्टर्ज़ ही हैं। आपने कितने एफ .आर.यू. ग्रामीण क्षेत्रों में खोले थे जहां स्पैसलिस्ट पोस्टिड थे जिन्हें बी .जे.पी. की सरकार आने के बाद शहरों में ट्रांसफर कर दिया गया। ऐसे कितने मामले हैं, आप बताएं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल चुराह क्षेत्र से संबंधित है। पूरे हिमाचल का अलग प्रश्न करेंगे तो सूचना दी जाएगी। मैंने यह कहा कि National Rural Health Mission means to give better medical facilities in the rural areas क्योंकि उसमें 90% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की होती है। मैं यह कह सकता हूं कि हमारे समय में जो एफ .आर.यू. खुले हैं , कम खुले हैं लेकिन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में या नगर पंचायत क्षेत्रों में खुले हैं। आपने भारत सरकार की पॉलिसी से डैविएट किया और आपने सभी जो रिजनल, जूनल या सिविल हॉस्पिटल थे , उन्हीं तक एफ .आर.यू. सीमित कर दिया। मेरा केवल यही कहना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे तीसा है और दूसरे क्षेत्र हैं, जैसे चुराह है, चौहारघाटी है या थुनाग है, यह सारे क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में हम निश्चित तौर पर एफ.आर.यू. खोलेंगे।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, पहले जब जवाब देने लगे तो कहा कि चुराह का ही प्रश्न था। आज NRHM सारे इंडिया में कार्यान्वित हो रहा है। उसको लेकर

12.12.2014/1145/SLS-JT-3

इन्होंने पिछली सरकार की बात कर दी और अब ये फंस रहे हैं। आप एक एफ.आर.यू. बताइए जहां ..

जारी ...गर्ग जी

12/12/2014/1150/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1456---क्रमागत

प्रो. प्रेम कुमार धूमल---------क्रमागत

और आपने पिछली सरकार की बात कर दी। आप एक एफ.आर.यू. बताइए जहां पर आपने पोस्ट किए और बी.जे.पी. सरकार ने वहां से ट्रांसफर किए थे , आप एक भी बता दीजिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही आपके पास इस बारे में कोई फैक्ट्स हैं। आप सदन में एक जनरल सी स्टेटमैंट दे देते हैं जब आपके स्पेसिफिक जवाब होने चाहिए थे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : अभी आप बैठ जाइए। इसलिए कृपया ऐसा करें कि जो जानकारी आपको देनी हो वह स्पेसिफिक प्रश्न के उत्तर में दिया करें। जब आप जनरल बात करेंगे, तो जनरल सवाल आएंगे, फिर आप कहेंगे कि चुराहा का है। जब आप एन.आर.एच.एम. को इसमें लेंगे , जैसा आपने कहा कि मैडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया , उसमें कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ जो प्रदेश को आ गया है ? आपने कहा कि 189 करोड़ रुपये की बात हुई, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसमें से कितना पैसा आ गया है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैसे की बात है , वह पैसा तो तब आएगा जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को चंबा का विजिट करके आए और चंबा का विजिट करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट , ये **तीन मैडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश में सैंक्शन किए हैं और 567 करोड़ रुपये उनके लिए सैंक्शन हुआ है।** आप पिछली सरकार की बात करते हैं, मैंने तो सिर्फ यह कहा कि चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने मैडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। यह गलत है कि यू.पी.ए. सरकार ने इसको सैंक्शन किया, क्या यह गलत है कि उस समय श्री गुलाम नवीं आजाद, स्वास्थ्य मंत्री नहीं थे? आप चंबा के लिए कहते हैं, चंबा के लिए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एम.ओ.यू. भी साईन हो गया है, केन्द्र लेकर आए।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने चुराहा वगेरह की बात की , मैंने कहा कि 'च' जिसके साथ लगता है वे पिछड़े क्षेत्र होते हैं। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हुई , मैंने कहा कि चाहे चुराहा, चुराग या चौहार हो , ये सारे ही पिछड़े क्षेत्रों को रिप्रिजैन्ट करते हैं। प्रश्न तो सिर्फ चुराहा का था और हंस राज जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि **सरकार जब भी दुबारा एफ.आर.यू. खोलने की बात होगी, मुझे इनके तीसा क्षेत्र से बहुत**

12/12/2014/1150/RG/AG/2

प्यार है और कोशिश करेंगे कि तीसा को एफ.आर.यू. दें। इससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको?

श्री हंस राज : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

Speaker: I would not allow you. आपके नेता बोल चुके हैं, अब क्या रहा गया?

प्रश्न समाप्त

12/12/2014/1150/RG/AG/3

प्रश्न सं. 1457

अध्यक्श : श्री पवन काजल अनुपस्थित।

12/12/2014/1150/RG/AG/4

प्रश्न सं. 1458

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, उसके मुताबिक प्रदेश में बालवाड़ी केन्द्र बन्द हो चुके हैं और जो अध्यापिकाएं उनमें काम करती थीं, उनकी सेवाएं समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए उत्तर से तो मैं संतुष्ट हूं, लेकिन इससे संबंधित ही मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आंगनवाड़ी केन्द्र प्रदेश में महिला-मण्डलों और सामुदायिक भवनों में चल रहे हैं या जो अध्यापिकाएं काम कर रही हैं, उनके घरों में चल रहे हैं। कई प्राथमिक पाठशालाओं के नजदीक हैं और प्राथमिक पाठशालाओं में

बहुत से भवन सरप्लस हैं, तो जो प्राथमिक पाठशालाओं के नजदीक चल रहे हैं क्या उन आंगनवाड़ी केन्द्रों को उन प्राथमिक पाठशालाओं में चलाने के लिए सरकार विचार कर सकती है?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर तो मैंने दे दिया, परन्तु-------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

12/12/2014/1155/MS/AG/1

प्रश्न 1458 क्रमागत---सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जारी-------परन्तु इन्होंने जो आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में सूचना मांगी है। मैं थोड़ा ब्रिफली बता दूं कि हमारे पास प्रदेश में कुल आंगनबाड़ी केन्द्र 18,916 हैं। इनमें से आंगनबाड़ी कार्यकत्ताओं के घरों में 1,311, महिला मण्डल और युवक मण्डल भवन में 1,449, पंचायतघर भवनों में 468, प्राथमिक एवं अन्य पाठशाला भवनों में 2,723, सामुदायिक भवन जो ग्रामीण विकास में हैं, वहां 2,173, स्वास्थ्य केन्द्र तथा सरकारी और अन्य विभागों में 49 और निजी भवनों तथा किराये के भवनों में भी 10,005 आंगनबाड़ी केन्द्र चल रहे हैं। जो आंगनबाड़ी के अपने भवन बने हैं, वे 1,481 हैं। इस प्रकार से 18,916 आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बनती हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रश्न पूछा है। मैं बता दूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आंगनबाड़ी केन्द्रों को ज्यादा -से-ज्यादा बनाने का लक्ष्य है और वर्तमान में प्रदेश में लगभग 18,916 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं जिनमें से 2,723 आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल भवनों में स्थापित हैं। जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल भवन से 500 मीटर की दूरी के दायरे में है, वहां विभाग का प्रयास रहेगा , और है कि आंगनबाड़ी केन्द्र स्कूल भवन में स्थापित हों।

प्रश्न समाप्त/

12/12/2014/1155/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 1459

श्री महेन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके स्पेसिफिक पीरियड के बीच में प्रदेश सरकार ने 8,212.33 करोड़ रूपये ऋण के रूप में लिए हैं। इसमें से 13,156.89 करोड़ रूपये इनको भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो ऋण राशि ली है, इसकी

अदायगी कब-कब करनी है? दूसरे, जो नाबार्ड से ऋण लिया गया है उसमें से आगे जो एलोकेशन हुई है और विशेषकरके इसी पीरियड के बीच में जब से यह सरकार बनी है, उस एलोकेशन में, पिछले कल भी प्रश्न लगा हुआ था। हमने ऐसा महसूस किया है कि केवलमात्र तीन विधान सभा क्षेत्रों को, जिनमें से एक विधान सभा क्षेत्र को 56 करोड़ रूपया, दूसरे को 32 करोड़ रूपया और तीसरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रूपया दिया गया है। शेष प्रदेश के जो 65 विधान सभा चुनाव क्षेत्र हैं, उनमें बहुतों को दिया ही नहीं गया है या दिया भी गया तो बहुत कम दिया गया है। तो क्या नाबार्ड के ऋण में कोई ऐसी सीलिंग विधान सभा चुनाव -क्षेत्रवाइज लगने वाली है कि इस सीमा में इतने पर कैप लगा दिया जाए? क्या मुख्य मंत्री जी इस पर रोशनी डालेंगे?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मैंने उत्तर दिया है, उसमें अनुलग्नक 'ए' में पूरी डिटेल में जानकारी दी हुई है। इनको शायद पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा। अगर आप इसका गहन विचार करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको सारी स्थिति और जो आपकी सारी शंकाएं हैं, वे दूर हो जाएंगी।

प्रश्नकाल समाप्त/-

अगली मद श्री जे0के0 द्वारा----------

12.12.2014/1200/जेके/एजी/1

<u>कागज़ात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब सचिव विधान सभा कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सचिवः अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के लिए राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त पत्र संख्याःRS.1/35/2014-B दिनांक 25 अगस्त, 2014 के साथ प्राप्त दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश सरकार की परिवहन नीति 2014 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री(प्राधिकृत) कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना, अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 (1) के अन्तर्गत निर्मित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःटी0सी0पी0-ए(3)-1/2014-I दिनांक 01.12.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.12.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.12.2014/1200/जेके/एजी/2

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री अनिरूद्ध सिंह (प्राधिकृत), सदस्य, लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2014-15) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 33वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 16वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 13 वां कार्रवाई प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा

कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है।

अध्यक्षः अब श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति, ग्रामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री कर्ण सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्रामीण नियोजन समिति , (वर्ष 2014-15), समिति के द्वितीय मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 5वां कार्रवाई प्रतिवेदन (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर

12.12.2014/1200/जेके/एजी/3

कार्रवाई विवरण जोकि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

12.12.2014/1200/जेके/एजी/4

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। श्री रविन्द्र सिंह नियम-62 के अन्तर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। इस विषय पर श्री बिक्रम सिंह जी की भी सूचना आई है। अगर वे चाहें तो चेयर की अनुमति ले करके स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने क्षेत्र के नागरिक अस्पताल देहरा एवं देहरा उप-मण्डल के अन्तर्गत जो स्वास्थ्य सेवाएं जिनकी चर्चा भी एक प्रश्न के माध्यम से आई है, की हालत आज के दिन में क्या है, के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र का जिक्र नियम-62 के अन्तर्गत माननीय सदन में रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जिला कांगड़ा से पहले चार सब-डिविज़न्ज पालमपुर, कांगड़ा,नुरपूर और देहरा नागरिक व सिविल हुआ करते थे। अगर आप

वहां पर विकास की दृष्टि से देखेंगे तो बाकी तीनो सब-डिविजन्ज़ ने काफी लम्बी छलांग लगाई है लेकिन देहरा सब डिविज़न जैसे 1947 में था उसका वर्तमान में भी वही आकार और विकास देखने को मिलता है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर चर्चा है। मैं, माननीय मंत्री महोदय और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में इस समय देहरा सब-डिविज़न के अन्तर्गत अभी हाल ही में ज्वालामुखी एक नया सब-डिविज़न क्रिएट किया है लेकिन दो महीने पहले तक तीन विधानसभा क्षेत्रों को यह सिविल अस्पताल, देहरा सेवा देता था।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1205/SS-JT/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

और लगभग 3 लाख से ऊपर जनसंख्या की सेवा यह अस्पताल करता रहा। अध्यक्ष महोदय, दुख का विषय है कि बार-बार मेरा आग्रह करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। दो साल से लगातार विभाग के अधिकारियों और मंत्री जी के समक्ष वहां की समस्या का निवारण करने के लिए मैं अनुरोध करता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी तक देहरा कांस्टीचुऐंसी और सब-डिवीजन में भी चाहे बिक्रम सिंह जी का अपना जसवां-परागपुर का इलाका हो, मुझे लगता है कि ज्वालामुखी में माननीय मुख्य मंत्री जी ने थोड़ी-सी स्टाफ पॉजिशन में बढ़ोत्तरी की है। लेकिन देहरा और जसवां-परागपुर की अनदेखी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हो रही है। कोई इससे अनभिज्ञ नहीं है। इस समय देहरा विधान सभा क्षेत्र में जहां एक सिविल अस्पताल है वहीं पर एक पी0एच0सी0 मसरूर, सी0एच0सी0 हरिपुर, पी 0एच0सी0 दरकाटा, पी0एच0सी0 भटोली बटोरियां और पी0एच0सी0 सुनेत वर्तमान में सेवा कर रहे हैं। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ये नाम के बोर्ड हैं। जहां देहरा के सिविल अस्पताल में वर्तमान में डॉक्टर्ज़ के 12 पद सृजित हैं, उस में से केवलमात्र 5 डॉक्टर्ज़ हैं। उनमें से भी एक ई0एन0टी0 और एक डैंटल डॉक्टर है और एक जो पांचवां डॉक्टर आया वह खनियारा में डैपुटेशन पर लगा हुआ था। मेरे ध्यान में मामला लाया गया तो उसको वहां पर वापिस किया। जैसे ही उसने वापिस देहरा में ज्वाइन किया उसी दिन से वह छुट्टी पर चला गया। वर्तमान में वहां पर केवल दो डॉक्टर्ज़ कार्यरत हैं। अगर सबसे ज्यादा ओ0पी0डी0 किसी अस्पताल की होगी तो मैं मानता हूं कि वहां होगी। जो भी मरीज वहां आता है उसको तुरन्त डॉ राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए रैफर कर दिया जाता है चाहे वह डिलीवरी का ही केस हो। सबसे

ज्या दा एक्सीडैंट उस बैल्ट में होते हैं। उस बैल्ट में दो नेशनल हाईवे पड़ते हैं। चिन्तपुरनी से लेकर रानीताल तक और नदौन से लेकर रानीताल तक। वहां पर बहुत भारी ट्रैफिक है। आये दिन वहां पर कोई-न-कोई दुर्घटना होती रहती है। जो मैंने बताए कि वहां पर दो डॉक्टर्ज़ हैं उनमें से एक डॉक्टर की ऑल्टरनेटिव डे पर यानी एक दिन छोड़कर डयूटी लगी होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस सिविल अस्पताल देहरा की वर्तमान में क्या स्थिति है। वहां पर आज के दिन पैरा-मेडिकल स्टाफ की स्थिति नगण्य कही जा सकती है। वहां पर सिटी-स्कैन मशीन है लेकिन उसे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर नहीं है। अल्ट्रासाऊंड की मशीन है लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है। हाल ही में मुख्य मंत्री महोदय वहां गए थे। मुझे

12.12.2014/1205/SS-JT/2

क्षमा करना, मुख्य मंत्री महोदय, आप वहां गए थे। आपने वहां पर आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया था। आपने वहां क्या कहा , मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन कम-से-कम वहां लोगों ने जो आपके समक्ष मांग रखी कि आप देहरा में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में कोई-न-कोई कार्रवाई करें उस पर ध्यान देते। लेकिन मुझे हैरानी है कि आपने उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। वहां पर आज के दिन स्थिति यह है कि कोई भी मरीज वहां जाता है तो तुरन्त उसको अन्य स्थानों के लिए रैफर कर दिया जाता है। चाहे पी0जी0आई0 है या वहां पर होशियारपुर नज़दीक पड़ता है प्राइवेट सैक्टर में, वहां लोग खुद ही चले जाते हैं या उनको टांडा रैफर कर दिया जाता है। एक तो मैं यह देहरा सिविल अस्पताल की स्थिति आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वहां पर पैरा-मेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। जहां तक अन्य पी0एच0सीज़0 हैं मैंने कल-परसों भी यह विषय उठाया था और माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाया था। अधिकारियों के ध्यान में भी लाया कि जो पी0एच0सी0 मसरूर है। वहां पर एक अन्तर्राष्ट्रीय भव्य मंदिर है। वह चट्टान पर बनाया हुआ है। उसे देखने के लिए सैंकड़ों पर्यटक रोज़ आते हैं। पी0एच0सी0 का बहुत सुन्दर भवन बन कर तैयार हो गया है। वहां पर सब कुछ है। जिस डॉक्टर की वहां पर डयूटी लगाई गई है वह डॉक्टर हफ्ते में एक दिन जाता है। वह चार-पांच दिन पालमपुर के निजी अस्पताल में सेवा देता है। मैंने मंत्री महोदय के ध्यान में मामला लाया है। उस डॉक्टर पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने बार-बार उससे कहा है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर उससे निवेदन किया कि आपकी सेवा अच्छी नहीं है वहां पर

आपको देखना चाहिए। जब उसको पता लगता है कि मैं वहां आ रहा हूं या कोई अन्य प्रॉब्लम है तो वहां पहुंच जाता है वरना वहां से मिसिंग रहता है। वहां पर अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है। जिस तरह से नेशनल हाईवे के ऊपर पी0एच0सी0 सुनेत है। न वहां पर डॉक्टर है और न ही फार्मासिस्ट है। अस्पताल बना हुआ है, बिल्डिंग है लेकिन वह सारे-का-सारा खाली पड़ा हुआ है। भटोली-बटोरियां एक पी0एच0सी0 है वहां पर कुछ नहीं है। वह नाम का है। वहां पर दवाइयां मिलती नहीं हैं। ये सारी स्थिति देहरा की है। इसी तरह से एक पी0एच0सी0 दरकाटा है वहां पर डॉक्टर मर्जी से आता है।

जारी श्रीमती के0एस0

12.12.2014/1210/केएस/ एजी/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी---

वहां पर डॉक्टर मर्जी से आता है। वैसे वह ज्यादातर डैपुटेशन पर ही रहता है। उसकी डियूटी कहां लगनी है, उसको खुद पता नहीं होता कि मुझे कब और कहां जाने का आदेश आ जाए। उसको सर प्लस पूल में रखा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन हैं कि देहरा सब डिविज़न में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब है। अभी भाई बिक्रम सिंह जी भी उनके बारे में अपने विचार रखेंगें लेकिन वहां पर हमारे दोनों के विधान सभा क्षेत्रों की स्थिति पर निश्चित तौर पर रोशनी डालने की बात है । मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी, जैसे आजकल यहां पर विधान सभा का सत्र लगा हुआ है। सत्र के दौरान प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी यहां पर आते हैं। मैं चार-पांच दिन से देखता आ रहा हूं कि सभी बड़े-बड़े अधिकारियों ने पालमपुर का दौरा किया, वहां पर सभी चले गए, अगर देहरा जैसे इंटीरियर इलाके में जाकर भी तो देखों लेकिन वहां पर किसी ने जाने का नाम नहीं लिया। पालमपुर में सबसे बढ़िया काम हो रहा है । वहां17 की जगह 19 डॉक्टर बैठे हुए है । मुझे इस पर ऐतराज़ नहीं है , होने चाहिए । वहां आवश्यकता है, वहां ज्यादा मरीज आते हैं । वहां के लिए सरकार और भी पद स्वीकृत करवाएं, मुझे इसका ऐतराज़ नहीं है लेकिन हमारे जहां 12 डॉक्टरों की आवश्यकता हैं उनमें से सिर्फ पांच लगे हुए है और पांच में से भी एक छुट्टी पर है । दो जो हैं उनमें एक ई.एन.टी. का और एक डैंटल डॉक्टर है। दो डॉक्टर बैठे हैं। एक अगर छुट्टी पर या ट्रेनिंग पर रहता है तो एक डॉक्टर क्या ओ.पी.डी. करेगा, क्या ऑप्रेशन करेगा? यह स्थिति वहां पर बनी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय, यह सिविल अस्पताल जो है, मेरे विधान सभा क्षेत्र की 52 पंचायतें हैं और नगर परिषद है, बिक्रम जी की वहां 60 या 62 पंचायतें हैं, जसवां-

परागपुर की और कुछ हमारे संजय रतन जी के विधान सभा क्षेत्र से भी मरीज उसमें आते हैं लेकिन वहां से सभी को रैफर कर दिया जाता है। यह स्थिति हमारे इलाके की है इसलिए मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि देहरा के ऊपर विचार किया जाए और देहरा को जो स्वास्थ्य सुविधाएं देने की आवश्यकता है, वह तुरन्त दी जाए। माननीय मंत्री महोदय, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति प्रदेश में अन्य भी कहीं पर होगी जितनी दयनीय स्थिति देहरा उप-मण्डल की स्वास्थ्य सेवाओं की है। वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी तरह हो जाएं, यह हमारी प्रार्थना है।

12.12.2014/1210/केएस/ एजी/2

अध्यक्ष जी, मै आपकी अनुमति से नियम 62 के अन्तर्गत जो मैंने प्रस्ताव रखा है कि "नागरिक अस्पताल देहरा एवं देहरा उप-मण्डल के अन्तर्गत अन्य अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।" धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय बिक्रम सिंह जी इस प्रस्ताव पर बोलेंगें। माननीय सदस्य, क्या आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं?

श्री बिक्रम सिंहः आदरणीय अध्यक्ष जी, नियम-62 के अन्तर्गत जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसमें भाई रविन्द्र सिंह जी ने देहरा सब-डिविज़न के बारे में कहा।

अध्यक्षः ऐसा है कि आप क्लैरिफिकेशन लें, स्पीच मत दें । जो बात रवि जी ने कह दी है, उसको रिपीट न करें।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब मेरा क्षेत्र देहरा सब-डिविज़न में आएगा तो क्या मैं उसका नाम नहीं लूंगा?

अध्यक्षः आप इसके अलावा जो ऐड करना चाहते हैं , वह करिए और जो माननीय सदस्य श्री रविन्द्र सिंह जी ने बोला है, दोबारा न बोलिए।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यहां-वहां की बात नहीं करूंगा, अपने विधान सभा क्षेत्र की ही बात करूंगा। वह भी देहरा सब-डिविजन के अंदर आता है और देहरा सब-डिविज़न के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब है। यह यहां पर कोई सनसनी फैलाने वाला विषय नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक सी.एच.सी., डाडासीबा है, 6 पी.एच.सी. है और एक सिविल हॉस्पिटल गरली है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ये क्लैरिफिकेशन दें कि क्या सी.एच.सी. के अंदर समय-समय पर मैडिकल ऑफिसर्ज़ की पोस्टें घटती या बढ़ती रहती है ? जब मैंने वहां से

सूचना ली तो वहां से चार डॉक्टरों के बारे में बताया गया। और चार डॉक्टरों में से भी दो ही डॉक्टर है। एक ट्रेनिंग के ऊपर है और एक डॉक्टर वहां पर काम कर रहा है लेकिन आपके पास जो अभी नई इन्फोर्मेशन सरकार ने भेजी है, इन्होंने कहा कि वहां पर मैडिकल ऑफिसर तीन थे । तो फिर पहले चार कैसे थे ? एक वर्ष पहले वहां चार लोग काम कर रहे थे। रक्कड़ के अन्दर हमारी एक पी.एच.सी. है वहां पर डॉक्टर की एक पोस्ट है और वह खाली है। इसी तरीके से सुनेर एरिया मेरा भी साथ

12.12.2014/1210/केएस/ एजी/3

में लगता है वहां पर एक डॉक्टर होता है और एक फार्मासिस्ट होता है, दोनों ही नहीं है और एक विचित्र

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

12.12.2014/1215/ag-av/1
बिक्रम सिंह ---------- जारी

और एक विचित्र स्थिति जो आपकी सरकार बनने के बाद पैदा हुई है मैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं। सी.एच.सी. डाडासिबा जो कि मेरा ब्लॉक है वहां से डॉक्टर की तनख्वाह निकलती है। लेकिन डॉक्टर नगरोटा-बगवां में लगे हुए हैं। मैं नाम के साथ बताता हूं। डॉ. अजय शर्मा की पेमैंट मेरे ब्लॉक से निकलती है। इनकी सैलरी दिनांक 1.5.2014 से लेकर 31.10.2014 तक मेरे ब्लॉक से निकली। उसके बाद डॉ.मुकेश है। इनकी दिनांक 17.6.2013 से लगातार सैलरी मेरे ब्लॉक से निकल रही है और काम ये नगरोटा-बगवां में कर रहे हैं। अभी एक महीने पहले जब 15 अक्तूबर को हमने वहां धरना दिया तो उसको वहां से बदला है। डॉ. मीनाक्षी वर्मा की सैलरी भी दिनांक 1.7.2013 से मेरे ब्लॉक से निकल रही है। अभी 20 दिन पहले आपने सैलरी रोककर इनको कहीं और लगाया है। डॉ. मुकेश चौधरी भी हैं, इनकी सैलरी मेरे वहां से दिनांक 1.8.2011 से निकल रही है और ये नगरोटा-बगवां में काम कर रहे हैं। अभी भी वहीं काम कर रहे हैं और सैलरी मेरे वहां से निकल रही है। कृपया आप इस बारे में जांच करें। आप यह स्थिति भी क्लीयर करें कि क्या नगरोटा-बगवां में डॉक्टर कम थे ? इन डॉक्टरों की सैलरी मेरे ब्लॉक से निकल रही है जबकि नगरोटा-बगवां में डॉक्टर सरप्लस है। मैंने जो अभी तीन डॉक्टर्ज की बात की है ये तीनों-के-तीनों सरप्लस हैं। अभी 20 दिन पहले आपने कहीं दो डॉक्टर लगाये हैं।

जैसे मैंने डॉ. मुकेश चौधरी की बात की है तो इनकी सैलरी तो दिनांक 1.8.2011 से मेरे ब्लॉक से ही निकल रही है। मेरे ब्लॉक के अंदर हैल्थ ऐजुकेटर की एक पोस्ट है जो कि खाली है। मेल हैल्थ सुपरवाइजर की 7 में से वर्तमान में 5 खाली है। फिमेल हैल्थ सुपरवाइजर की 9 में से 4 पोस्टें भरी हैं और 5 खाली है। वहां कुल मेल हैल्थ सुपरवाइजर की 43 पोस्टें हैं जिनमें से 22 खाली है। इसी तरीके से फिमेल हैल्थ सुपरवाइजर की 44 पोस्टें हैं जिसमें से 32 भरी हैं और बाकी खाली है। डाडासिबा सी.एच.सी. के अंदर क्लास -IV की 9 पोस्टें हैं जिसमें से 8 खाली है। क्लास -IV की पूरे ब्लॉक में 15 पोस्टें हैं जिसमें से 11 खाली है। वहां पर कुछ समय पहले रेडियोग्राफर थी मगर अब उसको भी बदल दिया गया है। सी.एच.सी. डाडासिबा में ऐक्स-रे मशीन है, कोटलाबेड़ में ऐक्स -रे मशीन है। लेकिन उन मशीनों को वहां रखने का क्या फायदा जब रेडियोग्राफर ही नहीं है। हमारे यहां इस प्रकार की स्थिति है। जैसे भाई रवि जी बोल रहे थे कि हमारे कई दुर्गम क्षेत्र हैं। हम अखबारों के अंदर आपकी स्टेटमैंट रोज पढ़ते हैं कि आप दुर्गम क्षेत्रों का बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं।

12.12.2014/1215/ag-av/2

लेकिन अभी जितनी बात हमने की है यह दुर्गम क्षेत्रों की ही की है। अभी मुख्य मंत्री जी पीछे ज्वाला जी में आए थे। मुख्य मंत्री जी वहां बोल रहे थे कि हमें देहरा, जसवां और परागपुर में अच्छे लोग नहीं मिलते। आपको जो मिले हैं उनके साथ आपने जैसा व्यवहार करना है, करो। लेकिन जनता को दुखी मत करो। आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और लोगों को पूरी सेवाएं दी जाए। अब अगर देहरा और जसवां में आपका कोई नहीं है तो हम लोग वहां पर काम में लगे हैं। अगर आप हमसे तंग है तो आप हमारे से बात करें लेकिन लोगों को इस तरीके से परेशान न करें। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुर्गम क्षेत्रों के अंदर मल्टी स्पैशलिटी कैम्प लगने चाहिए। आपके जो कैम्प इत्यादि लगते हैं ये उन्हीं अस्पतालों में लगते हैं जहां पर पूरी सुविधाएं हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ पंजाब लगता है। हमारे यहां से लोगों को पंजाब के अस्पतालों में जाना पड़ता है और आप जानते हैं कि आजकल प्राइवेट अस्पतालों की क्या हालत है।

मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मंत्री महोदय इस ओर पूरा ध्यान देंगे। धन्यवाद।

समाप्त

12.12.2014/1215/ag-av/3

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम 62 के अंतर्गत श्री रविन्द्र सिंह जी और श्री बिक्रम सिंह जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं उस पर जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह ठीक है कि इस वक्त पूरे प्रदेश में डॉक्टर्ज की बहुत शॉर्टेज है। कई सालों से डॉक्टर्ज की संख्या 1594 रही है। मैं इसी साल केबिनैट में मसला लेकर गया। हमने डॉक्टर्ज की दो सौ पोस्टें और सैंक्शन करवाई जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। 25 नवम्बर को हमने फिर 100 डॉक्टर्ज की सैंक्शन ली है। डॉक्टर्ज की ओवरऑल शॉर्टेज है----------

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

12.12.2014/1220/negi/jt/1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री .. जारी...

और डॉक्टरों की ओवर-ऑल शार्टेज़ है। स्पैशलिस्ट डॉक्टरों की शार्टेज़ है। लेकिन जैसा इन्होंने एक पिक्चर पेश करने की कोशिश की है कि बहुत पोस्टें खाली हैं और कुछ डॉक्टर डैपुटेशन पर भेजे गए हैं। जो डॉक्टर डैपुटेशन पर भेजे गए थे, हमने एक क्लीयर-कट इंस्ट्रक्शन्ज़ दी हैं कि कोई डॉक्टर डैपुटेशन पर नहीं जाएगा और न ही उसकी तनख्वाह उस जगह से निकलेगी जहां पर वह काम कर रहे हैं। यह क्लीयर-कट इंस्ट्रक्शन्ज़ हमने दिए हैं। हमने उनके सारे डैपुटेशन खत्म कर दिये हैं।

दूसरा, जहां तक देहरा की बात है । देहरा में हमारा सिविल सब-डिविजन है । देहरा सब-डिविजन में जैसे कहा गया कि 3 चुनाव क्षेत्र आते थे । अब तो ज्वालामुखी में नया सब-डिविजन क्रिएट किया गया है उसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। कांगड़ा में एक नया सब-डिविजन मुख्य मंत्री महोदय ने बनाया है । लेकिन मैं देहरा की पोजिशन देता हूं, आप कहते हैं कि देहरा में 12 डॉक्टरों के पोस्टें सैंक्शंड हैं। देहरा में 12 डॉक्टर नहीं है बल्कि देहरा सिविल हॉस्पिटल के लिए डॉक्टरों के 9 पोस्टें सैंक्शंड हैं जिनमें से 7 डॉक्टर वहां पर इन-पोजिशन हैं । इसी

तरह से वहां पर एक डेन्टल सर्जन का पोस्ट सैंक्शंड है और एक डेन्टल सर्ज़न इन-पोजिशन है। चीफ फार्मासिस्ट का एक पोस्ट सैंक्शंड है और एक चीफ फार्मासिस्ट ही इन-पोजिशन है। वहां पर दो फार्मासिस्ट की पोस्ट सैंक्शंड हैं और दोनों इन-पोजिशन हैं। यह ठीक है कि वहां पर चीफ लैब. टैक्निशयन का पोस्ट खाली है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, डेन्टल मैकेनिक का एक पद सैंक्शंड हैं और यह पद भरा हुआ है । मेल हेल्थ वर्कर का एक पद है और वह खाली है । वार्ड सिस्टर के 4 पद हैं और चारों पद भरे हुए हैं। स्टॉफ नर्स के 14 पद सैंक्शंड हैं जिनमें से 13 पद भरे हुए हैं और एक पद खाली है। इसी तरीके से ट्रेंड दाई का एक पद सैंक्शंड है और एक भरा हुआ है । रेडियोग्राफर का एक पद सैंक्शंड है और एक भरा हुआ है । क्लास-फोर्थ के 5 पद सैंक्शंड हैं और 3 पोस्टें इन-पोजिशन हैं और दो पोस्टें खाली पड़ी हुई है । इस तरह से अध्यक्ष महोदय, कुल 44 सैंक्शंड पोस्टों में से 36 पोस्टें इन-पोजिशन हैं और 8 पोस्टें खाली हैं और इसमें दो डॉक्टरों की पोस्टें भी शामिल हैं।

इस अस्पताल में जनवरी, 2014 से 30.11.2014 तक ओ.पी.डी. की कुल संख्या 58931 बनती है। अगर 58931 को 7 डॉक्टरों में हम डिवाइड करें तो साल में कितने मरीज़ एक डॉक्टर के हिस्से आता है वह देख सकते हैं। वहां पर 175 - 200

12.12.2014/1220/negi/jt/2

के बीच में प्रतिदिन मरीज़ आता है। मेरे ख्याल से 25-30 और 40 मरीज़ प्रतिदिन का एक डॉक्टर ओ.पी.डी. में देख सकता है । लेकिन यह ठीक है कि इस सिविल हॉस्पिटल में स्पैशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्पैशलिस्ट डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल्ज़ में प्राथमिकता के आधार पर लगा दिए जाएं। इसी तरह आई.पी.डी. जो इन-डोर पेशेन्ट होते हैं , वे भी इस दौरान 7972 रोगी ईलाज़ हेतु आए हैं। अभी 50 बेड उस हॉस्पिटल में है और बेड ऑक्युपैंसी उस हॉस्पिटल की 50 प्रतिशत से नीचे है।

इसी तरह से आपने उप-मण्डल देहरा के अन्तर्गत पी.एच.सी. भटोली-पोखरियां के बारे में कहा, उसकी भी मैं पोजिशन बता देता हूं। वहां पर एक डॉक्टर का पद सैंक्शंड हैं और एक ही इन-पोजिशन है । फार्मासिस्ट का एक पद सैंक्शंड है और एक इन-पोजिशन है । ट्रेंड दाई का एक पद सैंक्शंड है और एक ही इन-

पोजिशन है । क्लास-फोर का एक पद खाली है बाकी भरे हुए हैं। सफाई कर्मचारी का पद भरा हुआ है ।

इसी तरह से पी.एच.सी. हरिपुर, वहां पर मैडिकल ऑफिसर के दो पद सैंक्शंड हैं । वहां पर एक मैडिकल ऑफिसर और एक आयुर्वेदिक मैडिकल ऑफिसर इन-पोजिशन है । वहां पर एक एम.ओ. की पोस्ट खाली है । वहां पर फार्मासिस्ट के दो पोस्टें सैंक्शंड हैं और दोनों लगे हुए हैं। सीनियर लैब टैक्निशियन का एक पोस्ट सैंक्शंड है और इन-पोजिशन एक है। कम्प्युटर क्लर्क का एक पद है और एक लगा हुआ है । ड्राईवर की पोस्ट खाली है। फिमेल हेल्थ वर्कर की एक पोस्ट सैंक्शंड है और एक लगी हुई है । मेल हेल्थ वर्कर की एक पोस्ट सैंक्शंड है और एक लगा हुआ है । इस तरह से इतनी बुरी पोजिशन नहीं है जितनी यहां बतायी गई है।

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी.....

12-12-2014/1225/यूके/जेटी/1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री---जारी-----

तो इस तरह से इतनी बुरी स्थिति नहीं है जो यहां दिख रही है । अगर फिर भी कोई कमी होगी तो या कोई सूचना गलत होगी, जो आप मेरे ध्यान में लाएंगे, निश्चित तौर पर हम डॉक्टरों को लगाने की कोशिश करेंगे । क्योंकि अभी हमारे पास एक-दो साल में डाक्टर उपलब्ध होंगे हमने 300 डॉक्टरों की सैंक्शन कैबिनेट से ली है । ऑप्थैलमिक ऑफिसर एक है जो कि इन पोजीशन है । क्लास-फोर की 4 पोस्टें हैं जिनमें से दो इन पोजीशन है दो खाली हैं । इसी तरह से PHC दरकाटा आपने ठीक कहा मैडिकल ऑफिसर की एक पोस्ट सैंक्शन्ड हैं और एक पोस्ट खाली है जो खाली भी अभी एक ही महीने हुई है क्योंकि वह डॉक्टर पी0जी0 के लिए सलैक्ट हो गया है और पी0जी0 करने के लिए गया है । हम कोशिश करेंगे कि इस पोस्ट को भी शीघ्रातिशीघ्र भर दिया जाए । बाकी इसमें सारी पोस्टें भरी हुई हैं । एक लैब अस्सिस्टैंट की पोस्ट खाली है, स्टॉफ नर्स की एक पोस्ट खाली है, मेल हैल्थ सुपरवाईज़र लगे हुए हैं और ट्रेंड दाई की एक पोस्ट भी भरी हुई है । इस तरह से सुनेहत जो कि आप दोनों के चुनाव क्षेत्र में आता है । सुनेहत में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट सैंक्शन्ड हैं और एक ही पोस्ट खाली है और यह जून 2014 से खाली है । अभी हमने एक ट्रांसफर की है , डीडी0राणा को , उसको बैजनाथ हॉस्पिटल से रिवील कर दिया गया है और मेरे ख्याल में वह एक-दो दिन में वह वहां ज्वाईन कर लेगा । इसी तरह से इसमें कोई पोस्ट खाली नहीं है । सिर्फ एक सफाई कर्मचारी की

एक पोस्ट खाली सुनेहत में है। इसी तरह से PHC मसरूर में दो पोस्टें डॉक्टरों की सैंक्शन्ड हैं और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों ही इन पोजीशन हैं। एक डॉक्टर जिसकी आपने शिकायत की है, आपने कल भी कहा था। यह ठीक है , मैने जो इन्क्वायरी करवाई है हमारे ऐडिश्नल चीफ सैक्रेटरी कल पालमपुर भी गए थे उस डॉक्टर की घरवाली पालपमुर में प्राईवेट प्रैक्टिस करती है-और वह भी कभी हफ्ते में आता है और कभी वहां जाता है और प्राईवेट प्रैक्टिस करता है। We have taken a serious mote of it and I have asked the Addl. Chief Secretary (Health) to bring his proposal for transfer to the interior area of the State. क्यों कि जैसे आपने इल्जाम लगाये थे, वह इल्जाम ठीक है वह वहां कम रहता है और पालमपुर में प्राईवेट प्रैक्टिस करता है। इसी तरह से मसरूर में सिर्फ एक पोस्ट फार्मासिस्ट की खाली है और एक ही क्लर्क की पोस्ट खाली है, मेल हैल्थ सुपरवाईजर और स्टाफ नर्स की एक-एक पोस्ट खाली है। क्लास फोर और सफाई कर्मचारी दो की जगह

12-12-2014/1225/यूके/जेटी/2

एक लगा हुआ है । जहां तक आपने सिविल हॉस्पिटल में आवासीय सुविधा के बारे में बात की है, यह ठीक है कि वहां जो आवासीय मकान बने थे उनकी हालत बड़ी खराब है। हमने इसके बारे में कहा है कि एक सर्टिफिकेट होता है, एस0डी0एम0 साहब और एगजैक्टिव इंजीनियर PWD वहां जाकर इन्सपैक्शन करेंगे, तो इनकी रिपोर्ट आ गयी है और इन मकानों को हमने अनसुरक्षित घोषित कर दिया है। इसमें एक मकान में अस्थायी रूप से एक शवगृह है और आपको जान कर खुशी होगी कि सिविल हॉस्पिटल देहरा के लिए नया शवगृह बनाने के लिए 33.6 1 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गयी है और बी0एस0एन0एल0 को इसका काम भी अवॉर्ड कर दिया गया है। इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देहरा के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध है। भटोली फकौरिया एवं हरिपुर में डॉक्टरों को रैजिडैंस उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने अपने क्षेत्र का मामला उठाया है और यह ठीक है कि अपने-अपने चुनाव क्षेत्र का सबको ख्याल करना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश होगी क्योंकि अभी भी हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां डॉक्टर्स के 9-9, 10-10 खाली हैं। लेकिन फिर डॉक्टर भी रिलैक्टेंट होते हैं जाने के लिए क्योंकि we have shortage of doctors. इसलिए जो आपका डाडासीबा है, आपने डाडासीबा की बात मुझे

व्यक्तिगत तौर पर कही थी । डाडासीबा में जो पोजीशन है वहां ब्लॉक मैडिकल ऑफिसर एक है, एक इन पोजीशन है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

12.12.2014/1230/SLS-JT-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ...जारी

वह वहां काम कर रहा है और पूरे ब्लॉक को देख रहा है। मैडिकल ऑफिसर की तीन पोस्टें हैं। इन तीन में से दो इन पाजिशन हैं , एक खाली है। अभी आपने कहा कि वहां डॉक्टर की पोस्टिंग की है। डॉक्टर की पोस्टिंग की है but his joining is still awaited. इसी तरह से डैंटल सर्जन एक है जो लगा है। चीफ फॉर्मासिस्ट एक पद है जो लगा हुआ है। फॉर्मासिस्ट के तीन पद सैंक्शन है , दो इन-पोजिशन हैं और एक खाली है। लैब टैक्निशियन के दो पद हैं जो भरे हुए हैं। सीनियर असिस्टैंट का एक पद सैंक्शन है जो भरा हुआ है। ड्राईवर का पद वहां खाली है। डैंटल मैकैनिक वहां लगे हुए हैं। दो हैल्थ सुपरवाइजर हैं जिनमें से एक पद भरा और एक खाली है। मेल हैल्थ सुपरवाइजर का पद खाली है। हैल्थ एजुकेटर का पद भी खाली है। वार्ड सिस्टर का एक पद सैंक्शन है और इन -पोजिशन है। स्टॉफ नर्सिज के सात पद सैंक्शन हैं जिनमें से छः इन -पोजिशन है और एक पद खाली है। क्लास फोर का पद खाली है। सफाई कर्मचारी का पद भी खाली है। इनको हम आऊटसोर्स कर रहे हैं क्योंकि इस कैटेगिरी को हमने डाईंग कॉडर डिक्लेयर कर दिया है। आऊटसोर्स करने से सफाई अच्छी होगी। अगर काम ठीक नहीं करते तो हम उनको हटाकर नए को काम दे सकते हैं।

इस तरीके से जो जसवां प्रागपुर की आपने बात की है , (व्यवधान) रेड़ियोग्राफर का पद आपका सैंक्शन नहीं है। यह पद सैंक्शन करना पड़ेगा। <u>यह पोस्ट सैंक्शन करेंगे। आपने ध्यान में लाया है। जहां-जहां एक्स-रे मशीनें लगी हुई हैं , अभी हमने सुबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड को रेड़ियोग्राफर के पद की रिक्वीजीशन भेजी है। मेरे ख़याल में अब वह पद आ गए हैं। इसलिए जहां-जहां एक्सरे की मशीनें लगी हुई हैं , हम जरूर वहां पर रेड़ियोग्राफर भेजेंगे।</u> इसी तरह से पिरसलुई में दो मैडिकल ऑफिसर हैं जिनमें से एक लगा हुआ है और एक खाली है। पिरसलुई में एक कलर्क की , एक मेल हैल्थ सुपरवाइजर की, एक स्टॉफ नर्स की और दो पोस्टें दाई की खाली है। सफाई कर्मचारी एक है जो पद वहां पर भरा हुआ है। कस्बा - कोटला की भी सूचना है। यह सारी मैं आपको दे देता हूं। अगर इसमें कोई कमी पाई गई, या कोई सूचना कम होगी तो आप मेरे ध्यान में लाएं।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग की पूरी कोशिश है। हालांकि हमारे पास रिसोर्सिज की कमी है, मैन-पॉवर की कमी है डॉक्टर्ज़ की कमी है। अभी हमने 130

12.12.2014/1230/SLS-JT-2

फॉर्मासिस्ट के पद भरे हैं। उसमें से 50% की पोस्टिंग हो गई है। जो बैचवाईज भरे गए हैं, उनकी पोस्टिंग अभी होनी है। जहां-जहां स्टॉफ की कमी है , वह देखी जा रही है। सौ पद लैबोरेटरी टेक्निशियन के हमने भरे हैं। जहां-जहां लैब टेक्निशियन की कमी है, उसको पूरा किया जाएगा। अभी 230 स्टॉफ नर्सिज की पोस्टें हमने भरी हैं। लेकिन अभी भी 250-300 स्टॉफ नर्सों की पोस्टें खाली हैं। मैं मामला कैबिनेट में ले जा रहा हूं कि इनको भरने की इजाजत दी जाए। सुबोर्डिनेट स्टॉफ सलैक्शन बोर्ड, हमीरपुर से पैरा-मैडिकल की पोस्टें भरने का हम प्रयास करेंगे। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम हर संभव कोशिश करेंगे ताकि जो कमियां हैं उनको हम चरणबद्ध ढंग से पूरी कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : आप केवल एक क्लैरिफिकेशन लें।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सारी जानकारी दी। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि काफी हद तक इन्होंने कोशिश की है। लेकिन फिर भी यह जो सूचना सिविल हॉस्पिटल की दी , जैसा आपने बताया, यह नौ पद सृजित हैं। यहां सात डॉक्टरों के पद हैं जो सारे भरे नहीं हैं। भरे पांच ही है। जो दो आपने और बताए, उन्होंने ज्वॉयन नहीं किया है , वह एडजस्टमैंट के चक्कर में हैं। जो पांच रह गए उनमें से एक ENT का है और एक डैंटल डॉक्टर है। शेष तीन रह गए जिनमें से एक डैपुटेशन पर छुट्टी चला गया है। यह सारी फैक्चुअल पोजिशन मैं आपको बता रहा हूं। आपने कोशिश की है जिसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन आप सिविल अस्पताल देहरा की पोजिशन देखिए।

जारी ...गर्ग जी

12/12/2014/1235/RG/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह ----------क्रमागत

आप सिविल हॉस्पीटल , देहरा की पोजीशन देखिए कि वहां कोई डॉक्टर और विशेषज्ञ नहीं है। तो यह भी आपको देखना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने जो रेडियोग्राफर के पदों के बारे में कहा, आपने वहां मशीनें उपलब्ध करवा दी हैं, तो कहीं वहां से मशीनें न उठा लेना, वहां पद सृजित कर देना ताकि वहां एक डेपुटेशन पर लाया जा सके।

सबसे बड़ी मुश्किल वहां सुविधा की रहती है , जैसी आपने जानकारी दी है। मेरा अनुरोध रहेगा कि आने वाले समय में जब बजट पेश होगा , तो सिविल हॉस्पीटल, देहरा के लिए वहां जितने भी पद डॉक्टर्ज के सृजित हैं, उनके संख्या के अनुसार वहां आवास भवन बनाने के लिए बजट का प्रावधान किया जाए ताकि वहां आवास सुविधा उन्हें मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मसरूर के बारे में है , बाकी मैं पी.एच.सी. की बात नहीं करुंगा, दरगाटा में नहीं है, बजरेड़ या दूसरी जगह भी नहीं है। लेकिन मसरूर में क्योंकि पर्यटक आते हैं , वहां का डॉक्टर पी.जी. करने के लिए चला गया है। इसलिए आपकी सूचना ठीक नहीं है कि वहां पर एक है और एक प्रैक्टिस करता है। तो दोनों पद एक तरह से रिक्त हैं। एक प्रेक्टिस करता है, उसको बदलने का भी नहीं है। उसका धंधा है कि उसको जहां भेजेंगे, वह वहां भी नहीं जाएगा। दूसरा जैसा मैंने कहा कि पी.जी. करने चला गया है। इसलिए मसरूर में भी एक डॉक्टर की व्यवस्था करें ताकि जो वहां तीर्थ यात्री आते हैं, उनको सुविधा हो सके। एक तो वहां पी.एच.सी. मंदिर से काफी दूर बन गई है , लेकिन आने-जाने का समाधान भी वहां है। वैसे मंदिर से दो-अढ़ाई किलोमीटर की दूरी पर पी.एच.सी. है यदि वहां एक ऐम्बूलैंस का प्रबन्ध भी आप करेंगे, तो अच्छा रहेगा। यही थोड़ी सी क्लेरीफिकेशन लेना चाह रहा था।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि कोई भी विशेषज्ञ सिविल हॉस्पीटल, देहरा में नहीं है, तो यह सूचना इनकी गलत है। इस समय देहरा में आई-स्पेशलिस्ट उपलब्ध है , He is also specialist. देहरा में ई.एन.टी. स्पेशलिस्ट में लगा हुआ है , रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासॉउण्ड भी देखता है और सिटी-स्केन को भी देखता है, वह भी उपलब्ध है और ऑपरेशन करने वाला

12/12/2014/1235/RG/AG/2

सर्जन भी वहां उपलब्ध है। लेकिन आपने कहा कि डॉक्टर्ज नहीं हैं, तो कल की मेरी सूचना के मुताबिक जो मैंने फील्ड से ली है, तो सात डॉक्टर्ज इन-पोजीशन वहां हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने मसरूर की बात है I have taken serious note of the Doctor and the functioning of the Doctor. If he is indulging in misconduct, the Governemnt will take serious action. We

cannot tolerate indiscipline in this profession. जैसा इन्होंने मसरूर के बारे में कहा, तो एक एम.ओ. मसरूर के लिए नगरोटा-सूरया से डिप्युट कर दिया है and he has joined. जो दूसरा आपने कहा, उससे आपका क्या फायदा ? We will take serious action against him. अगर एक डॉक्टर ईमानदारी से काम करे , तो वहां जितने लोग आते हैं उनके लिए वह काफी है। **फिर भी हम कोशिश करेंगे।** ---(**व्यवधान**)----**अब हर मंगलवार को डॉक्टरों की इन्टरव्यु हो रही है , जैसे ही कोई डॉक्टर आएगा , सबसे पी.एच.सी., मसरूर में लगाएंगे क्योंकि मसरूर एक तीर्थ स्थान हैं और वहां बहुत से बाहर से पर्यटक आते हैं। वहां मसरूर में एक रैगुलर डॉक्टर लगा दिया जाएगा, यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।**

श्री बिक्रम सिंह : जो सेलरी निकाल रहे हैं , उनका भी इलाज करिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : नहीं-नहीं, सेलरी बिल्कुल बंद, डेपुटेशन बंद। जहां से वे सेलरी ले रहे हैं यदि वे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनकी सेलरी बंद और उनके खिलाफ ऐक्शन भी लिया जाएगा।

समाप्त

12/12/2014/1235/RG/AG/3

अध्यक्ष : अब श्री सतपाल सिंह सत्ती जी नियम-62 के अंतर्गत अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करेंगे तथा माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का उत्तर देंगी।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-62 के अन्तर्गत जिला ऊना का एक महत्वपूर्ण विषय यहां उठाना चाहता हूं। ऊना जिले की स्वां नदी किसी समय ऊना का बहुत नुकसान करती थी। लाखों एकड़ जमीन उसमें हर साल बह जाती थी और किसानों की फसलों का तथा जान-माल का नुकसान होता था। ----(व्यवधान)----1,35,000 एकड़ जमीन री-क्लेम हुई है।

अध्यक्ष : कृपया शांत रहिए।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, स्वां चैनेलाइजेशन का विषय, जिस समय प्रो. धूमल जी सांसद हुआ करते थे, उस समय कई बार----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

12/12/2014/1240/MS/AG/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी----------

अध्यक्ष जी, स्वां चैनेलाइजेशन का विषय , जिस समय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी सांसद हुआ करते थे , उस समय हमने कई बार इसको अखबारों में पढ़ा था। उस समय हम कॉलेज में पढ़ते थे। कई लोग उस समय मजाक भी करते थे कि इतनी बड़ी नदी को कैसे चैनेलाइज किया जाएगा और कौन इसके लिए पैसा देगा। लेकिन वर्ष 1998 में जब हिमाचल प्रदेश में धूमल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो उस समय चैनेलाइजेशन के लिए प्रयास हुए। मुकेश जी के चुनाव क्षेत्र के स्नोगांव में 15 अप्रैल, 2002 को धूमल जी ने आकर 106 करोड़ रूपये के झलेड़ा से संतोखगढ़ स्वां चैनेलाइजेशन का शिलान्यास किया। उसके बाद उसका उद्घाटन भी हुआ। बीच में पांच साल कांग्रेस की सरकार रही और स्वां चैनेलाइजेशन के लिए एक भी पैसा मंजूर नहीं हुआ। जब उसके बाद दुबारा प्रो0 धूमल जी मुख्य मंत्री बने तो गगरेट से लेकर झलेड़ा पुल तक 237 करोड़ रूपया दुबारा मंजूर हुआ और कालिया जी का जो आजकल वर्तमान चुनाव क्षेत्र है, झलेड़ा के पुल के ऊपर वहां पर शिलान्यास किया गया। समयबद्ध तरीके से उस चैनेलाइजेशन को पूरा किया गया और तीन साल के अंदर-अंदर गगरेट से झलेड़ा तक उद्घाटन भी हुआ। तीसरा चरण संतोखगढ़ से लेकर पंजाब बाउंड्री तक का शिलान्यास भी उसी दिन प्रो0 धूमल जी ने किया , जिस दिन गगरेट से लेकर के झलेड़ा तक के द्वितीय चरण का उद्घाटन हुआ। तीसरे चरण के काम में भी 11 करोड़ 55 लाख रूपया लग चुका है, जिसकी DPR 48 करोड़ रूपये की बनी थी। लेकिन केन्द्र सरकार और पंजाब का एन0ओ0सी0 न होने के कारण केन्द्र का पैसा मंजूर नहीं हुआ। प्रदेश के पैसे से प्रो0 धूमल जी ने उस काम की शुरूआत करवाई और चार किलोमीटर, जो पीछे मेरा प्रश्न लगा था, उसमें उत्तर आया कि चार किलोमीटर का काम उस में से पूरा हुआ और 11 करोड़ 55 लाख रूपया उस पर लग चुका है। हम सब ऊना निवासियों का सौभाग्य है कि आजकल स्वां चैनेलाइजेशन के फेज फोर्थ का काम दौलतपुर से लेकर गगरेट के पुल तक, उसका विषय और ट्रिब्यूटरीज जो स्वां चैनेलाइजेशन में आती है , वे लगभग 55 ट्रिब्यूटरी/खड्डे हैं, उनकी चैनेलाइजेशन का विषय भी पीछे, (व्यवधान)

श्री राकेश कालियाः 73 ट्रिब्यूटरीज हैं।

श्री सतपाल सिंह सत्तीः 73 हैं लेकिन पैसा 55 के लिए मिला है। थोड़ी किताबें पढ़ लिया करें। वैसे तो वहां कई नदियां-नाले आते हैं। वैसे तो कुल 335 हैं। वे आपने भी

12/12/2014/1240/MS/AG/2

नहीं गिने और मैंने भी नहीं गिने हैं। ऐसे ही बोलते रहो यहां पर। (व्यवधान) चलो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। इसमें सारे -का-सारा जो विषय हुआ (व्यवधान) अब मैं सच्चाई बोल रहा हू। आपके समय में कुछ हुआ नहीं तो मैं इसमें क्या बोल सकता हूं ? आप और मुकेश जी लड़ते रहते हैं और इसलिए कुछ होता नहीं है। आप लोग कभी मंच पर लड़ते हैं और कभी नीचे लड़ते रहते हैं। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। आप तो मुख्य मंत्री जी की स्टेज पर भी लड़ पड़ते हैं। इस विधान सभा में तो आपके लिए कोई रूल और रेगुलेशन्ज है ही नहीं। हमने तो मुख्य मंत्री जी के मंच के ऊपर भी बोल दिया था जो बोलना था। इसलिए अध्यक्ष जी, फेज फोर्थ के रूप में दुबारा से जो DPR भारतीय जनता पार्टी के समय पर बननी शुरू हुई, वह कांग्रेस के शासन के समय में 922 करोड़ रूपये की मंजूर हुई। आदरणीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने उसका शिलान्यास हरोली तहसील में जाकर किया जबकि स्वां चैनेलाइजेशन का काम दौलतपुर से शुरू होना है। उसमें मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। अब जिसमें दम है, उसने करवा लिया। उसमें आज वहां पर जो दुःखदायी विषय चला है,
First, Second and Third Phase में, तीनों फेजिज का स्वां चैनेलाइजेशन का काम जब हुआ, उस समय ऊना जिला में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लोगों को लाभ हुआ और हजारो/लाखो करोड़ रूपये की जमीन उसमें रि-क्लेम हुई और अभी भी जो काम चला है, इसमें भी बहुत ज्यादा जमीन रि-क्लेम हो गई। लेकिन अभी इस काम के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भगोर साहब स्कीम पड़ती है, जिसमें 2600 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। भाखड़ा की जो झील जाती है भगोर साहब के पास, वहां से जिस समय वर्ष 1990 में हमारी सरकार बनी थी , उस समय बादल साहब के साथ शांता कुमार जी का एक समझौता हुआ था और वहां से पानी लिया गया था।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

12.12.2014/1245/जेके/जेटी/1

श्री सतपाल सिंह सत्तीः-------**जारी**------

फर्स्ट फ़ेज वर्ष 1990 की गवर्नमैंट में हुआ और दूसरा चरण उसका प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी जब दूसरी बार मुख्य मंत्री बने थे उस समय हुआ। यह बहुत बड़ी स्कीम है और उसमें अभी तक लगभग 13 करोड़ रूपया लग चुका है। इस स्कीम में जो उस

समय पैसा लगा और आजकल स्वां चैनेलाईजेशन की ट्रिब्युटरीज़ का काम चला हुआ है। उसके लिए जो मटिरियल निकाला जा रहा है उसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी यह विषय आया होगा। उसकी पाईप लोगों ने उखाड़ दी। जितने भी चैनल थे वे लोगों ने उखाड़ दिए। अभी सिंचाई का सीज़न नहीं है इसलिए वहां के लोगों के ध्यान में नहीं आया। यह बहुत बड़ी स्कीम है। जब पानी लगाने का समय आया और लोग खेतों में गए तो वहां पर देखा तो पाईप ही नहीं है। वहां पर चेम्बर्ज भी नहीं है और सारी की सारी पाईप तोड़ दी गई। उससे इलाके को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। विभाग के पास लोग गए। डी0सी0 साहब को भी इसके बारे में अवगत करवाया। माइनिंग ऑफिसर, श्री नीरज कुमार जो आजकल ऊना जिला में है, उन्होंने एस0सी0, आई0पी0एच0 को दिनांक 11.11.2014 को एक लैटर लिखा कि आई0पी0एच0 स्कीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर जो माइनिंग हो रही है वह लीगल हो रही है या अलिगल हो रही है? जो पत्थर वहां पर स्वां चैनेलाईजेशन के लिये लगाया जा रहा है उसका बाई लॉज क्या है? वहां से पत्थर ले जा रहे है। उसी एरिया से लेकर के स्वां चैनेलाईजेशन में लगाए जा रहे हैं और वे कहते हैं कि हम उसी पत्थर को लगाते हैं। जो अलिगल होता है उसको हम नहीं मानते हैं। हमारे ध्यान में आया कि ऊना जिला में बहुत ज्यादा माइनिंग हो रही है। उसके साथ-साथ कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र और पिपलू की धार में भी है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि वह बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। पारथ-कोकरा ग्राम पंचायत वहां पर भी वह पत्थर लग रहा है। इसी तरह से बहुत से एरियाज़ हैं । इस स्कीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और उद्योग मंत्री जी भी इस समय माननीय सदन में बैठे हैं जिनके अण्डर यह माइनिंग विभाग भी आता है। इसके बारे में काफी कोशिश की गई और हम भी जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। पंजाब में माइनिंग न होने के कारण इसका एक बहुत बड़ा उद्योग ऊना के बॉर्डर एरिया में स्थापित हो गया। स्थिति यहां तक पहुंच

गई कि वहां के प्रधानों ने पीछे डी0सी0 को एक ज्ञापन दिया था कि हमारे गांव में जो शमशान घाट पड़ता है वहां से रात को कई लोग रेत लेकर जाते हैं और उन्होंने उसको तोड़ दिया है। उन्होंने अपनी शिकायत में किसी का नाम नहीं लिखा है।

लेकिन उसी गांव का एक व्यक्ति जो माइनिंग करता है उसका एक डम्प था। प्रशासन ने कार्रवाई की कि उस डम्प को वहां से हटाया जाए। लेकिन वहां के प्रधान व उप-प्रधान को मारने की धमकियां उसने किसी और के फोन के माध्यम से दी । जो वहां पर माइनिंग करता है उसने उनको धमकियां दी। पुलिस केस बना और पुलिस ने उसे पकड़ा। इस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। इस चैनेलाईजेशन की वहां पर खुशी थी कि लोगों को इसका लाभ होगा। लेकिन वहां से बहुत बड़े-बड़े 50-60 टन का माल ले जा करके टिप्पर जा रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9 ऐसे रोड़ हैं जिन पर 32 करोड़ रूपया सड़कों की स्ट्रेंथनिंग और वाइडनिंग के लिए लग रहा है। उन सड़कों की हालत खराब हो गई। टिप्पर जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, रेत गिर रहा है और साथ में आई0पी0एच0 की स्कीमों को नुकसान हो रहा है। इसके लिए हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से माफिया के लोग हैं वे वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। वह बहुत अच्छा काम है और लोगों को उससे लाभ होगा। हिन्दुस्तान में यह पहला जिला होगा जहां पर उसकी सारी खड्डें और एक बहुत बड़ी नदी चैनेलाईज हो जाएगी। 1500 करोड़ रूपया इस सारे काम के ऊपर लग गया है और यह जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण है। यह बहुत अच्छा काम है

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

12.12.2014/1250/SS-AG/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती क्रमागतः

और आज भी जहां-जहां चैनेलाइजेशन हो रहा है वहां बहुत से लोगों की जगह बच रही है। घर बच रहे हैं। मकान के साथ-साथ जो खेती योग्य भूमि है वह नहीं निकल रही है। आई0पी0एच0 विभाग की नयी -नयी स्कीमें लग रही हैं। उनको इरिगेट भी किया जा रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर इस तरह का काम चलता रहा, अगर आई0पी0एच0 का इस तरह का तालमेल रहा और आई0पी0एच0 विभाग के साथ-साथ माइनिंग विभाग कार्रवाई नहीं करता तो मैं यह मानकर चलता हूं कि यह स्कीम दो-तीन साल में बन कर तैयार होगी। उससे कुछ लोगों को लाभ होगा और लगभग उतने ही लोगों को नुकसान हो जायेगा। हमारा प्रदेश का अपना पैसा जो सड़कों पर लगा है, जो गांवों की सड़कें बन रही हैं , उन सड़कों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों में एकदम पैसा उगाही करने की होड़ मची है। कई लोग पंजाब से जे0सी0बी0 किराये पर लाकर वहां काम करवा रहे हैं। केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हैं। इन सब बातों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। यह काम जन-स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे नहीं होगा। इनका काम रहेगा

कि अगर इनकी स्कीम को नुकसान पहुंचता है तो एकदम इनके विभाग के लोग वहां जाकर कार्रवाई करें। मेरी भी एस0डी0ओ0 से बात हुई थी। वहां पर फ्लड प्रोटैक्शन के जो एक्सियन, एस0ई0 हैं उनसे हमने फोन पर बातचीत की है और जो आई0पी0एच0 विभाग के एक्सियन, एस0ई0 हैं उनसे भी बातचीत की है। आप सभी लोग एक ही विभाग के लोग हैं। एक स्कीम चल रही है तो दूसरी स्कीम नष्ट हो रही है तो अल्टीमेटली लोगों को इस चीज़ का लाभ क्या होगा ? सड़कों का नुकसान हो रहा है। वहां पर लोगों में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। इन सब बातों की ओर मैं विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अधिकारियों में आपसी तालमेल नहीं है। अखबारों में बार-बार आ रहा है कि विभागों में आपसी टकराव चला हुआ है। एक से पूछें तो कुछ बोलता है और दूसरे से पूछें तो कुछ बोलते हैं। इन सब बातों की ओर ध्यान दे कर चैनेलाइजेशन का काम लीगली रूप में चले। इसका ठीक काम हो। हम इसके समर्थन में हैं कि चैनेलाइजेशन होना चाहिए क्योंकि पैसा आया है लेकिन चैनेलाइजेशन के साथ-साथ बाकी लोगों का नुकसान न हो। बाकी लोगों की जमीन बेकार न हो। जहां पर लोगों ने इस तरह का काम किया है पाइप तोड़े हैं वह ठीक नहीं है। भभौर साहिब की स्कीम से आजकल सिंचाई न होने के कारण हाहाकार मची हुई है उस स्कीम को जल्दी-से-जल्दी ठीक करने के लिए विभाग कार्रवाई

करे। अधिकारी वहां पर जाएं। अब नुकसान जो हो गया अगर उसकी कार्रवाई में पड़ेंगे तो समय और लगेगा। पाइप किस ठेकेदार ने तोड़ी उस पर केस बनाओ, वह लीगली कार्रवाई तो करें लेकिन विभाग किसानों को राहत देने के लिए अपनी ओर से जल्दी-से-जल्दी क्या काम कर सकता है इसकी ओर मैं सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत मैं अपने विषय को रखना चाहता हूं जिला ऊना की भभौर साहिब सिंचाई परियोजना के आस-पास से स्वां चैनेलाईजेशन हेतु पत्थर निकालने से परियोजना को हो रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति की ओर सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, धन्यवाद।

समाप्त

12.12.2014/1250/SS-AG/3

अध्यक्षः अब माननीय मंत्री महोदया इसका उत्तर देंगी।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के अन्तर्गत सतपाल सिंह सत्ती ने अपना विषय यहां उठाया। जो भी बात आपने कही मैं उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी। जो आपने कहा वह मुझे ठीक लगा। आपकी कई बातें सही भी हैं और कई सही नहीं हैं। दिक्कत वाली हैं। मैं यही बात कहना चाहती हूं कि वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि जिला ऊना में उठाऊ सिंचाई परियोजना भभौर साहिब द्वितीय चरण को वर्ष 1998 में 11.42 करोड़ रुपये की लागत से 2640 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु चालू किया गया। गांव बनगढ के निजी भूमि मालिकों द्वारा अपनी भूमि से खुदाई करके पत्थर निकाले जा रहे हैं। इस खनन से सिंचाई परियोजना भभौर साहिब के द्वितीय चरण की वितरण प्रणाली को नुकसान पहुंचा है। जिसके परिणामस्वरूप गांव बनगढ़ की लगभग 40 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित हो गई है। इसके अतिरिक्त मेन चैनल आर0डी0 1640 मीटर से 1790 मीटर तक पहाड़ी को लगभग 15-20 मीटर गहरी खुदाई कर समतल कर दिया है जो हल्की बारिश होने की स्थिति में कभी भी गिर सकती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिससे गांव बहडाला तथा चताड़ा की सारी सिंचित भूमि व गांव बनगढ़ और देहलां की 400 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से वंचित हो जाएगी। इसमें शक की बात नहीं है। जो ये कह रहे हैं सही है इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी।

जारी श्रीमती के0एस0

12.12.2014/1255/केएस/एजी/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----

इसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी कि क्या तरीका हो सकता है , कैसे कार्य करना है। यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। इसमें इतना पैसा लग रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत करवाना चाहती हूं कि स्वां चैनेलाईजेशन जो है फेज़-4 ऊना जिला का 922 करोड़ रुपये का फ्लड मैनेजमैंट प्रोग्राम के तहत एक महत्वपूर्ण स्वीकृत प्रोजैक्ट है। जिसका कार्य 2017 तक पूर्ण होना है। जिसके लिए भारी मात्रा में पत्थरों की जरूरत है और भवौर साहिब सिंचाई योजना भी ऊना जिले की एक मुख्य सिंचाई योजना है। यह दोनों ही योजनाएं ऊना जिले के लिए महत्वपूर्ण है । एरिया भी बहुत बड़ा है तो इसलिए समय भी लगेगा और व्यवस्था को भी ठीक करना हमारी जिम्मेवारी होनी

चाहिए। हम चाहते हैं कि आम जनता को भी तकलीफ न हो। जहां छोटी-मोटी तकलीफें होती है, उनको सुधारने की भी आवश्यकता है।

जहां तक स्वां चैनेलाईजेशन के लिए इस पत्थर को प्रयोग में लाया जा रहा है वह केवल स्वीकृत स्त्रोतों से विभाग द्वारा लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं जबकि भवौर साहिब कमान क्षेत्र स्वीकृत स्त्रोत नहीं है।

माननीय सदस्य ने जो मामला इस सदन के ध्यान में लाया है, आपने कई बातें यहां पर कही है, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आई उसके लिए मुझे क्षमा करें मगर जो मुझे समझ में आया उसके बारे में मैं सुनिश्चित करूंगी कि जहां गल्तियां होंगी उनको हमें ठीक करना होगा। स्वां चैनेलाईजेशन का कार्य समय पर पूर्ण हो और भवौर साहिब सिंचाई योजना को भी कोई नुकसान न हो यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा। यदि ऐसी स्थिति हो जहां हमें लगे कि सही नहीं है क्योंकि जो बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स होते हैं उनमें कई बार गल्तियां भी हो जाती है, कमियां भी होती है और वे सही भी होते हैं तो उसके लिए हम सभी को सोच कर काम करने की आवश्यकता है और मैं समझती हूं कि हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्य हमने चला रखें हैं, समय पर उनको हमको पूरा करना चाहिए। जहां सही होगा जल्दी से जल्दी कार्य होगा और जहां सही नहीं होगा, थोड़ा आपस में झगड़ा होगा , क्योंकि गांव में आपस में थोड़ा-बहुत झगड़ा हो जाता है। कोई छोटी सी चीज़ टूट जाए तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है तो हम चाहते हैं कि इस स्थिति को सुधार कर रखें । किसी तरह की भी आवश्यकता होगी तो हम सभी मिलकर तालमेल से जो सही काम है, उसको कर पाएंगें। आपकी पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं जानती हूं कि इसमें कुछ दिक्कतें

हैं, आपने कुछ सुझाव दिए। आप सभी लोग इसके बारे में चिन्तित है कि इसको कैसे तैयार करें, यह इतना बड़ा प्रोजैक्ट है यह जितना जल्दी हो, हम सबको लाभ मिलेगा।बाकी जो आपने व्यवस्था बताई, उसके बारे में मैं भी सोच रही हूं और मैं देखती हूं कि क्या किया जा सके। मैं जानती हूं कि जहां कोई झगड़े होते हैं, वहां पुलिस वालों की मजबूरी होती है, कभी चाहे खनन के बारे में बात हो जाए या कोई अन्य बात हो तो उसके बारे में भी उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। आप लोगों ने जो बातें कही है, उनके बारे में मैं फिर से गौर करूंगी और आप भी हमें जरूर बताएं कि किस तरह से हम इस काम को जल्दी से जल्दी कर सके। सुविधा तभी ठीक

होती है जब दोनों तरफ से बातचीत सही हो। छोटी-छोटी बातों के पीछे अगर आप लोग बहुत झगड़ा करेंगें तो इससे हमारा काम लटका रह जाएगा। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि हम इतने बड़े प्रोजैक्ट को खराब न करें सब तालमेल से काम करें और जहां जिसको कोई कमी दिखती है , उसको हमें ठीक करना चाहिए खासकर जो छोटा बागवान है, किसान है या गरीब है उसको कहीं भी कोई नुकसान न हो, यह हमें देखना पड़ेगा ताकि वह दिल से खुश रहे। आम आदमी को पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उनकी जमीनें चाहे कम है , ज्यादा है सभी को हम सुविधा देना चाहते हैं और यही हमारी कोशिश होगी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि हम सभी लोग इकट्ठा हो कर काम कर रहे हैं । यह हम सभी की भावना है कि अच्छे तरीके से मिलकर काम करें। तो बहुत अच्छा रहेगा । हम भारत सरकार से बहुत से प्रोजैक्ट लाएंगें । आप लोगों की तरफ से भी होगा। पहले भी लाएं हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1300/jt-av/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री---------- जारी

उस में भी तो काम प्यार और सद्भावना से होता है। अगर छोटी-छोटी बातों के ऊपर झगड़ा हो जाए तो बहुत बुरी बात है। आपने जिस ढंग से अपनी बात यहां पर रखी है मैं उसको समझती हूं और मैंने उसको अच्छे से महसूस किया है। आपने जो मुझे कहा और बताया, मुझे वह बात समझ आ गई है। हरेक आदमी को खुश करना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन इतना जरूर है कि जो बड़े और अच्छे प्रोजैक्ट्स हैं उनमें पानी या खड्डों की बात तो होती ही है। हमें ये बातें सुननी भी पड़ेगी मगर हमें सहनशीलता से काम करना है और जल्दी करना है। मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं आशा करती हूं कि आप मेरी बात को समझेंगे और जब मैं आपसे वहां पर दोबारा मिलूंगी तो फिर बात कर लूंगी। धन्यवाद।

समाप्त

12.12.2014/1300/jt-av/2

अध्यक्ष : अब दोपहर के भोजन का समय हो रहा है। लेकिन हमारे पास सरकारी विधेयक और थोड़ा सा एजैंडा डिसकस करने को शेष रहता है। अगर आपकी अनुमति हो तो इसको खत्म करके ही भोजन किया जाए। ठीक है, अनुमति मिल गई।

श्री सतपात सिंह सत्ती जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बड़े विस्तार से उत्तर दिया है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि जो भभौर साहिब सिंचाई

परियोजना का नुकसान हुआ है और जिसके कारण सिंचाई रुकी पड़ी है, वह लोगों का आज की डेट में सबसे बड़ा कनसर्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पाइप्स लगाने का काम शीघ्रातिशीघ्र कब तक कर लिया जायेगा ? दूसरे, मैंने पहले भी कहा कि इससे माइनिंग का विषय भी जुड़ा है। यहां पर इण्डस्ट्री मिनिस्टर भी बैठे हैं। इनके ध्यान में भी लाना चाहते हैं कि कई जगह पर इलीगल माइनिंग का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। उसको हम कैसे रोक सकते हैं? उस प्रोजैक्ट के कारण जो जनमानस को नुकसान हो रहा है उससे उनको कैसे बचा सकते हैं। भभौर साहिब सिंचाई स्कीम का पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है। यह जल्दी-से-जल्दी शुरु किया जाए क्योंकि अभी ठीक सीजन है और वर्षा भी नहीं हो रही है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। बड़ा प्रोजैक्ट है या छोटा प्रोजैक्ट है ; हमें सबके बारे में सोचना है। हमारे पास बहुत अच्छे ऑफिसर्ज हैं। ऑफिसर्ज की हमारे पास कमी नहीं है। हम समझते हैं कि वर्ष 2015-16 के बीच में यह कार्य हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। हम इस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है और हम गति से काम कर रहे हैं। बहुत गति से काम कर रहे हैं और आप लोग भी इस बात को समझ रहे हैं।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भभौर साहिब सिंचाई परियोजना मेरे कार्यकाल में बनी मगर उसका उद्घाटन माननीय धूमल जी ने किया था। लेकिन यदि किसी एक प्रोजैक्ट की वजह से दूसरे प्रोजैक्ट को नुकसान हो रहा है तो यह चिन्ता का विषय है। हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि अगर किसी एक प्रोजैक्ट के कारण दूसरे

12.12.2014/1300/jt-av/3

प्रोजैक्ट को नुकसान हो रहा है तो उसकी तुरंत भरपाई की जाए ताकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जो मामला सतपाल सिंह सत्ती ने उठाया था यह उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा मामला है। अगर सिंचाई योजना प्रभावित हुई है तो यह फैक्ट है। हम इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहेंगे। बनगड़ पंचायत और पुखरी पंचायत में इलीगल माइनिंग हो रही है। स्वां चैनलाइजेशन में जो पत्थर लग रहा है वह वहां से जा रहा है। माइनिंग डिपार्टमैंट ने आई.पी.एच. विभाग

को लिखकर दिया है कि यह काम इलीगल हो रहा है। उनको एम.-फॉर्म नहीं मिला है। बनगड़ पंचायत के लोग इसलिए दुखी है कि निचले क्षेत्र में तो भभौर साहिब स्कीम प्रभावित होगी लेकिन पत्थर निकालने के कारण, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में पढ़ा भी है कि हल्की सी बारिश होने पर भी वहां पर तबाही होगी। बनगड़ थोड़ा ऊंचाई पर है जहां से पत्थर निकाले जा रहे हैं। यही बात कुटलैहड़ क्षेत्र में भी हो रही है। प्रश्न इलीगल माइनिंग का जरुरी था और नोटिस इसलिए दिया गया था कि वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है। माइनिंग डिपार्टमैंट ऑब्जैक्शन कर रहा है लेकिन आपके वहां पर जो चैनेलाईजेशन के काम करने वाले ठेकेदार या सप्लायर है; वे गलत कर रहे हैं। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी ---

श्री बी.जे.नेगी द्वारा जारी

12.12.2014/1305/negi/jt/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल .. जारी...

क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदेश में अवैध माइनिंग नहीं होने दी जाएगी। जहां से पत्थर निकाल कर लाए जा रहे हैं , अगली बरसात के बाद वहां बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वहां लैंड स्लाइड कर सकता है । हम यह आश्वासन चाहते हैं कि आप उस इल्लिगल माइनिंग पर तुरन्त ऐक्शन करेंगे । भभौर साहिब स्कीम को रिपेयर करके चालू किया जा सकता है और इल्लिगल माईनिंग को रोक कर पहाड़ को बचाया भी जा सकता है , मैं इसपर आश्वासन चाहता हूं।

समाप्त

12.12.2014/1305/negi/jt/2

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने और प्रतिपक्ष के नेता प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी ने एक अहम मसला सदन में उठाया है । इसमें दो इशूज़ हैं। एक इशू है , भभौर साहिब की सिंचाई योजना का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । हिमाचल को अपने हिस्से का पानी मिलता है और उस योजना के तहत उस पानी को लाया जाता है । लगभग 12-13 करोड़ रूपये उसपर खर्च हुआ था।

दूसरा, हिन्दुस्तान की एक बहुत ही महत्वकांक्षी योजना जिसके तहत ऊना जिला पूरी तरह चयनित होने जा रहा है और उसके थर्ड फेस के लिए 922 करोड़ रूपये सैंक्शंड है। हिमाचल प्रदेश को इस साल 308 करोड़ रूपये खर्चना है। पूरा पैसा दिल्ली से भी आ गया है और हिमाचल सरकार ने भी दे दिया है । हम माननीय

मुख्य मंत्री जी के भी आभारी हैं कि उन्होंने 922 करोड़ रूपये की प्रोजैक्ट के लिए जो 300 करोड़ रूपये की स्टेट गारन्टी चाहिए थी , वह इन्होंने दी है और वह पैसा आया है । सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो 2-3 रेलेवेन्ट सवाल उठाए हैं। आपके समय में भी स्वां का चैनेलाइजेशन हो रहा था जिसको माननीय प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मॉनिटर कर रहे थे। उस समय भी पत्थर कहां से आ रहा है , यह मसला कभी उठा नही। रॉयल्टी हम लेते हैं। आप रिकार्ड हमें दिखा दें कि उस समय कोई ऐसी चर्चा आई हो। लेकिन माइनिंग डिपार्टमैन्ट उसकी रायल्टी लेता रहा है । आज भी हमें जितना पत्थर आ रहा है उसकी रॉयल्टी मिल रही है । दोनों प्रोजैक्ट्स सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है क्योंकि भभौर साहिब की योजना भी इनकी है और स्वां चैनेलाइज़ेशन भी इन्हीं का प्रोजैक्ट है । अब इसमें यह है कि वह एरिया सत्ती जी का है और आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आपने बताया है कि किसी भी योजना के 300 मीटर के आसपास खनन नहीं किया जा सकता है। हम उसपर ऐक्शन भी लेंगे और उसको रिपेयर करने की बात माननीय मंत्री जी ने कह दिया है , उसको तो रिपेयर करना ही है । योजना इम्पोर्टेंट है , उसको हम टाईम-बांड तरीकेसे हम रिपेयर करवा देंगे। सैकिन्डली , जो आपने बताया कि बनगढ़ में पत्थर निकाले जा रहे हैं और धूमल साहब ने भी दो गांव बताएं । आप वहां के स्थानीय विधायक हैं, अगर आप चाहते हैं तो हम बनगढ़ क्षेत्र से खनन पर आज से ही पूर्ण रोक लगा देते हैं। उनको कहेंगे कि वहां से पत्थर निकालने की इज़ाजत न दी जाए। लेकिन 922 करोड़ रूपये का प्रोजैक्ट है और उसके लिए कहीं न कहीं से पत्थर तो आएगा। पंजाब हमें पत्थर ले करके आने नहीं दे रहा है। हमें बाहर से पत्थर लाने में

12.12.2014/1305/negi/jt/3

दिक्कत हो रही है । 18 किलो का पत्थर चाहिए और वह आपके एरिया में उपलब्ध हो रहा है। यह आपको फैसला करना है, अगर आप चाहते हैं कि बनगढ़ क्षेत्र में खनन पर रोक लगा दी जाए तो हम पूर्ण रोक लगा देते हैं। फैसला आपका है। अदर-वाइज़ चैनेलाईजेशन के इतने बड़े प्रोजैक्ट के लिए पत्थर कहीं न कहीं से तो चाहिए। बाकी आपने जो संतोखगढ़ से बाथड़ी तक की चैनेलाईज़ेशन की बात कही, और आपने कहा कि पंजाब ने एन.ओ.सी. नहीं दिया। मैं सदन को इंफोर्म करना चाहता हूं कि पंजाब ने एन.ओ.सी. हाल ही में दे दिया है । इस माननीय सदन को , मैं इस बात से भी अवगत करवाना चाहता हूं कि बहुत लम्बित मसला जो हमारी

इन्वायर्मैंट एसैसमैन्ट कमेटीज़ थी वो लैप्स हो चुकी थी , आज ही हमें सेन्ट्रल गवर्नमैन्ट से नोटिफिकेशन प्राप्त हो चुकी है, माननीय मुख्य मंत्री जी और मैं, दिल्ली जा कर श्री प्रकाश जाबडेकर जी से मिले भी थे और उनके हस्तक्षेप के बाद , दोनों कमेटियां सैंक्शन हो गई और आज नोटिफिकेशन आ गई है। माइनिंग को रेगुलेट करने में इन कमेटियों का बहुत बड़ा हाथ होगा। जो कटिंग का काम और लीजिंग का काम रूक गया था इन कमेटियों के आते ही इन कामों को हम सही तरीके से अन्ज़ाम दे पाएंगे। इसलिए इन दोनों कमेटियों के आने के बाद मुझे लगता है कि पत्थर निकालने के लिए हम कहीं न कहीं मन्जूरियां देने की स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपके ध्यान में यही लाता हूं कि अगर आप बनगढ़ पर रोक लगाना चाहते हैं तो आप हमें बता दें, हम तुरन्त रोक लगा देंगे।

अध्यक्षः मेरा आपसे सुझाव है कि जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्ज़ हैं आप अपने संबंधित अधिकारियों को बुला कर उनका समाधान कर सकते हैं।...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

12-12-2014/ 1310/यूके/जेटी/1

अध्यक्ष--जारी----

सम्बन्धित अधिकारियों को बुला कर सॉर्ट आऊट कर सकते हैं। उनसे बैठ कर बात कर सकते हैं। अब सरकारी विधायकों पर विचार होगा।(व्यवधान)

अध्यक्षः अब क्या है ?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस शरदकालीन सत्र का यह अंतिम दिन है । मैं आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं कि मैने एक अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया था कानून-व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए।

अध्यक्षः रवि जी ऐसा है, इसमें रेजोलूशन गोइंब ऑन सको खत्म होने दीजिए फिर आप बात करिए। Let him wind up the resolution which is going on.

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अब तो बिल पास हो गया, उसके बाद 324 होगा। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की, चोरियों की, हत्याओं की जो सीमा है उस पर प्रस्ताव था वह लगना चाहिए था पता किस कारण से नहीं लग नहीं पाया है। कानून व्यवस्था के ऊपर।

अध्यक्षः आप हर बात के लिए नियम 67 पर चर्चा मांगते हैं। Rule 67 is rarely invoked.

श्री रविन्द्र सिंहः सर, वह तो मैने नियम 130 पर दिया था कि नियम 130 पर चर्चा करें।

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय रवि जी से आग्रह है कि जाते-जाते सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने की स्थिति आ रही है तो कृप्या ये बैठ जाएं ।

12-12-2014/ 1310/यूके/जेटी/2

विधायी कार्य
सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्षः अब सरकारी विधेयकों पर विचार विमर्श एवं पारण होगा । अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15)" पर विचार किया जाए ।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15)" पर विचार किया जाए ।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15)" पर विचार किया जाए ।

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तृत बिल है । पहला जो बिल कल विदड्रॉ हुआ । जब वह विचार के लिए आया तब भी हमने कहा था कि प्रॉसीक्यूशन सैंक्शन पर, इसमें भी हमने आपत्ति जाहिर की थी । इस में इंगलिश वर्शन जो पेज-13 का लास्ट पैराग्राफ, चैप्टर- VII - The Lokayukta shall consider every report received by it from any agency and after obtaining the comments of the competent authority and the public servant- (a) may grant sanction to its Prosecution Wing or investigating agency to file charge-sheet or direct the closure of report before the Special Court against the public servant. इसमे मेरा यह कहना है कि हम यहां ओवर स्टैप कर रहे हैं । उसका जो 197 (1) of the Cr.P.C., 1973. It is a Central Act. उसमें प्रॉस्क्यिूशन सैंक्शन अथॉरिटी डिफाईंड है सी0आर0पी0सी में अंडर सैक्शन 197 (1), क्या हम उसको ओवर स्टैप कर सकते हैं ? There is also a provision under Article 311 of the Constitution of India for every employee.तो इसके माध्यम से हम कह रहे हैं । हम कह रहे है मान लो कंपिटेंट अथॉरिटी कहती है कि प्रॉसिक्यूशन होना चाहिए । तो उसको कनसीडर करके लोकायुक्त कहे कि नहीं होना चाहिए । या मान लो वे कहती हैं कि नहीं होना चाहिए और लोकायुक्त कहता है कि हो जाना चाहिए ।

Whose opinion will prevail? और क्या हमारा लोकायुक्त ऐक्ट जो है, इसके तहत हम फिर कार्रवाई कर पाएंगे। ये सुपरसीड कर देगा सी0आर0पी0सी0 को भी

12-12-2014/ 1310/यूके/जेटी/3

इंडियन कंस्टिट्यूशन की आर्टिकल 3-11 को भी तो मेरा आग्रह रहेगा हम इसको करें क्योंकि पहले ही यह डिले हो चुका है और अगर इसमें और ऐसी कोई धारा जोड़ देंगे तो उसके बाद फिर भारत सरकार से रिजैक्ट होगा की आप सी0आर0पी0सी0 और कंस्टिटयूशन के अगेनस्ट चले गये It was not within your purview. तो इसको भी मैं चाहूंगा कि रिकनसीडर किया जाए।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1315/SLS-AG-1

श्री प्रेम कुमार धूमल ...जारी

नैक्सट पेज पर, Page No. 14, sub-para (9) - The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status of number of complaints pending before it or disposed of by it. माइनर सा चेंज मैं इसमें चाहता हूं। जो सैकिंड लाईन के एंड में लिखा है, the status of, "of" के बजाये अगर "and" किया जाए। स्टेटस क्या है ? And what is the number of cases or complaints pending with the Lokayukta or disposed of by the Lokayukta. यहां "of" दो बार क्यों लगाया गया है ? क्योंकि यह एक्ट बन रहा है इसलिए every "comma" and "full stop" will matter. I repeat the website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status of ("and" in place of "of") number of complaints pending before it or disposed of by it. कंपलेंट का स्टेटस क्या है और कितनी डिसपोज ऑफ कर दी हैं या कितनी पैंडिंग पड़ी हैं। यहां "and" होगा not "of".

पेज 26, English version, टॉप पर है सब-सैक्शन-2 - The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh, at such intervals as may be specified by him. अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे दो ऑब्जैक्शन हैं। एक तो at such intervals as may be specified. Why

such intervals? Why not every financial year when the accounts are audited every financial year? दूसरा why Accountant General of Himachal Pradesh? Why not CAG? CAG करे और उसका ऑडिट हर वर्ष हो। इस तरह न हो कि वह तय करे कि मेरा ऑडिट पांच साल के बाद होगा।

यह माईनर ऑब्जैक्शन हैं लेकिन मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण हैं। हमारा यह बिल पास होकर जब एक्ट में परिवर्तित हो , उसमें फिर अगर केंद्र आब्जैक्शन लगाकर भेजे और फिर यह डिले हो, उससे अच्छा है, इसको एक्सपीडाईट करने के लिए जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर गौर किया जाए।

12.12.2014/1315/SLS-AG-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल पहले ही विधान सभा के द्वारा पास हुआ है। यह ज्वांयट सलैक्ट कमेटी ने किया है और ज्वांयट सलैक्ट कमेटी की जो सिफारिश थी , उसके मुताबिक यह बिल पास हुआ। मगर हमने इसमें एक और क्लॉज ऐड करने की कोशिश की है कि Lokayukta should also have power of contempt. जब हरेक को कंटैंप्ट की पॉवर है, अगर लोकायुक्त को कंटैंप्ट की पॉवर न हो तो वह सही नहीं है। सिर्फ़ यह एक ही एडिशन इसमें है। जब यह बिल पेस किया था, it was discussed in the House. It went to the Joint Select Committee and on the basis of the recommendations of the Joint Select Committee, we have incorporated it in the Bill. इस क्लॉज को ऐड करने के लिए ही अमैंडमैंट लाया गया। हमने यह मुनासिब समझा कि इस क्लॉज को ऐड करें। बाकी इसमें वही चीजें हैं जो विधान सभा पहले पास कर चुकी है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो उत्तर दिया वह बिल्कुल डिफरैंट है। मैंने कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट पर कोई ऑब्जैक्शन नहीं किया।

जारी ..गर्ग जी

12/12/2014/1320/RG/JT/1

प्रो. प्रेम कुमार धूमल के पश्चात

मुख्य मंत्री : यह बिल यहीं से पास हुआ है और सलैक्ट कमेटी में आ चुका है उनकी रिकॉमैन्डेशन आई है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : आप सुन तो लें, इसमें कोई प्वाइंट स्कोर करने की बात नहीं है। मेरा सवाल यह है कि भारत के संविधान का Article 311, आपके लॉ सैक्रेट्री यहां बैठे होंगे। Are you competent or your Select Committee or Joint Select Committee is competent to overrule that? Can you pass any law which is in contravention to the Central laws? सी.आर.पी.सी. के 197(1) को आप कैसे ओवर-रूल कर देंगे? संविधान की धारा 311 को आप कैसे ओवर-रूल कर देंगे? मैंने सिर्फ 'ऑफ' की जगह 'एन्ड' सजेस्ट किया और उसकी सैन्स तब बनती है जब आप उसको 'ऐन्ड' करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अब सी.आर.पी.सी. ऐक्ट भी अमण्ड हो गया है और अमेण्डेड सैक्शन में लोकायुक्त को prosecution order करने की पॉवर है।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : तो Clause 15 की sub clause(9) में 'status of' की जगह 'status and' और ए.जी. का ऑडिट in every financial year. Why should it be allowed any time? Why not every financial year? कहें कि पांच साल के बाद ऑडिट कर लेना, जब हम रिटायर हो जाएंगे। तो हर साल फाइनैन्स की बात है, गवर्नमेंट ने फण्ड्ज देने हैं, तो ऑडिट करने में क्या दिक्कत है?

Chief Minister: Section 37(2) the accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh, and section 37 (4) says that the accounts will be laid before the Assembly on an annual basis.

प्रो. प्रेम कुमार धूमल : मुख्य मंत्री जी आपने कहा कि एक तो सी.आर.पी.सी. अमण्ड हो गया है और उसमें लोकायुक्त को पॉवर हो गई है, तो क्या संविधान की धारा 311 भी अमण्ड हो गई है जो हर ऐम्प्लॉय को अधिकार है। पहला तो मेरा यह प्वाइंट है। दूसरा प्वाइंट यह है कि यह कंट्रोडिक्ट्री प्रोवीजन है, आप कह रहे हैं कि जो पीरियड स्पेसीफाइड करेगा, उसमें वह ऑडिट करेगा और अगले में कह रहे हैं कि हम इसको एनुअली प्लेस करेंगे। यह तो कंट्राडिक्शन अपने आप ज़ाहिर हो गई है। एक मैंने 'ऑफ' और 'एण्ड' का कहा था यह तो बहुत सिम्प्ल है।

Chief Minister: I have not seen. There is no contradiction at all.

12/12/2014/1320/RG/JT/2

Prof. Prem Kumar Dhumal: It is not a question of your seeing and my seeing. What is the actual position? आपने अभी पढ़ा कि 37 रूल में ए.जी. करेगा "at such intervals as may be specified by him" और 37(4) में आप कह रहे हैं एनुअल बेसिज।

Chief Minister : As may be specified by the A-G, not by the Lokayukta. Section 37(4) में आ जाता है कि the accounts will be laid before the Assembly on an annual basis.

Prof. Prem Kumar Dhumal : That is why the contradiction is there. यदि स्पेसिफिक पीरियड में मान लेते हैं, तो दो साल में करेंगे , तो ऐनुअली कैसे रखेंगे ? इसलिए ऑडिट ऐनुअली होगा और ऐनुअली रखा जाएगा। यही मैं कह रहा हूं। यह तो पहले जो प्रोवीजन है, वह गलत है। यहां करना पड़ेगा कि "The accounts will be audited annually and placed before the House annually."

एम.एस. द्वारा मुख्य मंत्री हिन्दी में शुरू

12/12/2014/1325/MS/JT/1

मुख्य मंत्रीः अमैंडमैंट करेंगे कि ये सैक्शन 37 (2) में "एनुअल" शब्द एड किया जाएगा। The accounts of the Lokayukta shall be audited by the Accountant General, Himachal Pradesh at such intervals as may be specified by him. इसको अमैंड करके "it will be audited on annual basis" किया जाएगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः 311 का प्रोसिक्यूशन सैक्शन में भी है कि हर कर्मचारी को प्रोटैक्शन इसमें दिया हुआ है और एक "and" और "of" की एक बड़ी सिम्पल सी बात है। I can repeat. पेज 14 का sub clause (9) है, जो सैकिण्ड लाइन में है - ".... the status of number of complaints pending before it or disposed of by it" इनका स्टेट्स क्या है और नम्बर कितना है? कितने डिस्पोज ऑफ हो गए और कितने रह गए? "of" काटकर status के बाद इसमें "and" लगेगा और 311 पर तो लॉ वाले ही ऑपिनियन दे सकते हैं।

मुख्य मंत्रीः इसमें सैक्शन 9 का जिक्र किया है - The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by

regulations, display to the public, the status of number of complaints pending before it and disposed of by it.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः "pending before it or" नहीं, इससे पहले जहां आपने पढ़ा सैकिण्ड लाइन में "status of जो पढ़ा , ये "status and number of complaints.." होना चाहिए।

मुख्य मंत्रीः जो आप कह रहे हैं इसको इनकोरपोरेट कर दिया जाएगा - "The website of the Lokayukta shall, from time to time and in such manner as may be specified by regulations, display to the public, the status and number of complaints pending before it and disposed of by it".

This is a printing mistake.

I request that the Bill as amended be passed.

अध्यक्ष श्री जे0के0 द्वारा------

12.12.2014/1330/जेके/एजी/1

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार। अब हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) पर विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड नम्बर

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, 50,51,52,53,54,55,56,57 और 58 तक विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार। खण्ड

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,

52,53,54,55,56,57 और 58 विधायी का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार। खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

12.12.2014/1330/जेके/एजी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

अध्यक्षः तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 15) को संशोधित रूप में पारित हुआ।

12.12.2014/1330/जेके/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17) पर विचार किया जाए।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17) को यहां पर प्रस्तुत किया है। इसमें दो क्लॉजिज को अमैंड करने के लिए यहां पर प्रावधान दिए गए हैं। पहले तो सेंक्शन 21 में अमैंडमेंट कर रहे हैं, जिसमें शामिल किया जा रहा है कि प्रधान सचिव(शिक्षा) और सचिव (वित्त) जब से विश्वविद्यालय बना है तब से आज तक ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की एग्जैक्टिव कॉंसिल के मेम्बर्ज रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि यदि ये दोनों ऑफिसर्ज एग्जैक्टिव कॉंसिल में न जाएं तो किसी और को वहां पर ये भेज सकते हैं। निदेशक (शिक्षा) पहले से ही वहां पर मेम्बर हैं। अगर ये दोनों अधिकारी वहां पर नहीं जाते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा नुकसान होगा। इनकी उपस्थिति में जो निर्णय होते हैं वे डिसिज़न ये लोग बताते हैं। इनकी प्रेजैंस में निर्णय होते हैं। वे निर्णय जब बाद में सरकारी स्तर पर करने होते हैं तो हो जाते हैं। सचिव (वित्त) फाईनैंस कमेटी का भी मेम्बर होता है उसके कारण सारे के सारे डिसिज़न वहीं पर हो सकते हैं। उसके कारण निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वह तेज़ी से आगे बढ़ती है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

12.12.2014/1335/SS-AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

तो उसमें प्रिंसीपल सैक्रेटरी, फाइनैंस और सैक्रेटरी, एजुकेशन का रहना बहुत ज़रूरी है। ये खुद न जाकर किसी अंडर सैक्रेटरी को भेज देंगे या किसी एस0ओ0 को भेज देंगे या किसी लोअर लेवल के अफसर को भेज देंगे तो वह वहां कुछ बोलेगा नहीं या उसकी बात वहां चलेगी नहीं। फिर उसके बाद सचिवालय में चला जायेगा तो यहां पर जो सारी प्रकिया युनिवर्सिटी की है वह रोक देंगे। युनिवर्सिटी की autonomy ये अगले सैक्शन में वैसे ही इरोड करने वाले हैं। वह समाप्त हो जायेगी। मैं समझता हूं कि यह सैक्शन अमैंड करना कि सैक्रेटरी, एजुकेशन और प्रिंसीपल

सैक्रेटरी, फाइनैंस को अपने रिप्रैजेंटिव भेजना और युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव में न जाना, ठीक नहीं है। आज तक एम0के0 काओ जैसे लोग युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काऊंसिल की मीटिंग को अटैंड करते रहे तो आज सैक्रेटरी, फाइनैंस और सैक्रेटरी, एजुकेशन का एग्जीक्यूटिव काऊंसिल की मीटिंग में न जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए यह अमैंडमैंट गलत है। मेरी पूरी बात सुन लीजिए।

दूसरा, सैक्शन-28 में अमैंडमैंट कर रहे हैं जिसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं क्योंकि फाइनैंस कमेटी में जो ये अमैंडमैंट कर रहे हैं उसके कारण युनिवर्सिटी की स्वायत्ता पूरी तरह से इरोड हो जायेगी। खत्म हो जायेगी। अगर ये ऐसा करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि युनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काऊंसिल को ही स्क्रैप कर दें। वहां पर फाइनैंस कमेटी को ही ऑल इन ऑल बना दें और युनिवर्सिटी के जो रिक्रूटमैंट रूल्ज़ हैं वे भी सचिवालय की फाइनैंस कमेटी ही करे। फाइनैंशियल मैटर में मैं समझता हूं कि फाइनैंशियल कमेटी का रोल रहता है। पहले जो प्रोविजन था उसमें चांसलर को अंतिम अधिकार दिया गया था कि अगर फाइनैंशियल कमेटी कुछ गलत करती है तो चांसलर का डिसीजन फाइनल होगा। अब इनको लगता है कि पता नहीं गवर्नर कैसे आयेंगे, इनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उसमें स्टेट गवर्नमैंट जो बोलेगी वही चांसलर करेगा। इन्होंने प्रोविजन कर दिया है कि there shall be Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be as laid down in the Statutes. All financial matters and service matters relating to service conditions of the employees of the University including creation, up-gradation or filling of the posts, framing of Recruitment and Promotion

12.12.2014/1335/SS-AG/2

Rules, revision of pay and allowances shall first be placed before the Finance Committee, and thereafter such matters shall be placed before the Executive Council with its recommendations. And "B" में कर दिया in sub-section (2), for the words "and the decision of the Chancellor or thereupon shall be final", the words "who shall give final decision after consultation with the State Government" shall be substituted. It means the Executive Council of the University have no authority or right. No

recruitment will be made, no revision of pay तो युनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काऊंसिल क्या करेगी ? जो इनके चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी एग्जीक्यूटिव काऊंसिल के मेम्बर हैं, इनके एम0एल0ए0 वहां पर मेम्बर हैं उनका वहां पर जाकर चाय पीने के अतिरिक्त कोई काम नहीं होगा। युनिवर्सिटी की सारी-की-सारी स्वायत्ता खत्म कर दी। यह ठीक है कि आजकल पैसे की दिक्कत है लेकिन जब हिमाचल युनिवर्सिटी बनी थी तब से हिमाचल प्रदेश गवर्नमैंट की जिम्मेवारी है कि हिमाचल युनिवर्सिटी में प्रदेश के गरीब विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए मौका प्राप्त हो। उनके लिए यह वैल्फेयर स्टेट है। वैल्फेयर स्टेट में आप युनिवर्सिटी को फीड नहीं कर चाहते। युनिवर्सिटी की स्वायत्ता के नाम पर खर्चा नहीं होता है। मैं समझता हूं कि अगर आप यह insertion कर देते हैं तो टोटली हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी की स्वायत्ता समाप्त हो जायेगी और युनिवर्सिटी को सारा-का-सारा प्रदेश सचिवालय से ही अधिकारियों के द्वारा चलाया जायेगा। अगर इस तरह से करना है तो युनिवर्सिटी की सारी-की-सारी डिसीजन मेकिंग बॉडी को भंग कर दिया जाना चाहिए। केवल मात्र जो फाइनैंस कमेटी यहां पर बनाई जा रही है उसके आधार पर काम किया जाना चाहिए। अगर उसके द्वारा ही रूल करना है तो युनिवर्सिटी की स्वायत्ता समाप्त हो जायेगी। इसलिए मैं समझता हूं कि इस अमैंडमैंट को पारित नहीं किया जाना चाहिए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि युनिवर्सिटी की पूरी वर्किंग की स्टडी करने के लिए अगर इस अमैंडमैंट को सिलैक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है तो इसमें इसकी सारी-की-सारी बॉडीज़ पर चर्चा हो..

जारी श्रीमती के0एस0

12.12.2014/1340/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी---

और इसकी पूरी की पूरी बॉडीज़ के ऊपर डिस्कशन हो, हो सकता है यही प्रोविज़न दोबारा भी आ जाए लेकिन इसकी स्टडी जरूर होनी चाहिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी में, जैसे रूसा के बारे में फीस स्ट्रक्चर पर भी हमने यहां पर चर्चा की थी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसके बारे में अपनी बात कही थी। इनके मन में भी बहुत पीड़ा है और ये भी युनिवर्सिटी को ठीक करना चाहते हैं तो इसको पूरी की पूरी स्लैक्ट कमेटी को दे दिया जाए क्योंकि उसमें ऑफिसर्ज़ भी आते हैं, वे अपनी बात रखेंगें और इस हाऊस के रीप्रेजैंटेटिव्ज़ उस कमेटी में होंगें, वे उस पर चर्चा करेंगें और चर्चा करने के बाद इस सेक्शन के अतिरिक्त भी अगर चेंजिज़ करना चाहते हैं तो वह भी हो सकती है लेकिन इस फौरम में इस अमैंडमैंट बिल को जो यहां लाया

जा रहा है, वह स्वायत्तता को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जो मैं समझता हूं कि आज के इंडिपैंडैंट समय में जब सारी चीजें, इकॉनोमी भी ओपन हो रही है, यहां तक कि चाईना जैसी कंट्री की इकॉनोमी ओपन हो रही है, सारा विश्व आज एक हो रहा है और आप विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को खत्म करने के लिए सरकारीकरण कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं और मैं पूरी तरह से इसके विरोध में यहां पर खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि इसको हम सलैक्ट कमेटी को भेज देते हैं तो उसमें डैमोक्रेटिक सैंस भी आएगी और जो इस माननीय सदन के मैम्बर्ज़ हैं, वे भी इस पर चर्चा करेंगें तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सारी बात out of context कही है। यह संशोधन बहुत छोटा सा है। Government honours the autonomy of the University. There is no question of interfering in the working of the University any way. अभी भी सचिव शिक्षा और सचिव वित्त दोनों एग्जिक्युटिव कौंसिल के मैम्बर है और इसके चेयरमैन वाईस चांसलर होते हैं। कभी-कभी यह होता है कि आमतौर पर वैसे तो सारे सैक्रेटरी और फाईनैंस सैक्रेटरी ही मीटिंग में आते हैं। अगर कभी फाईनैंस सैक्रेटरी मीटिंग में नहीं आ पाए तो वह अपने बदले में किसी सीनियर ऑफिसर को भेजते हैं। यह कहकर कि उसमें फाईनैंस सैक्रेटरी ही आ सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आ सकता , वहां पर उसको बैठने नहीं दिया जाता इसीलिए यह संशोधन लाया गया है कि एग्ज़िक्युटिव कौंसिल है, विशेष करके उसके अंदर फाईनैंस सैक्रेटरी अगर नहीं आ सके तो उनका सीनियर ऑफिसर,

कोई अण्डर सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी का सवाल नहीं है , a very senior officer will attend the meeting. That is provided for. होता यह है कि इसमें कई दफा बड़े-बड़े डिसिज़न लिए जाते हैं involving crores and crores of rupees without hearing the point of view of the Finance. अगर फाईनैंस सैक्रेटरी न आ पाए तो उसका रीप्रैजैंटेटिव सीनियर ऑफिसर आता है। तो यह एश्योर किया जाएगा कि इसकी जब मीटिंग होगी, उसमें वैसे तो फाईनैंस सैक्रेटरी ही आएंगें लेकिन अगर किसी वजह से वह न आ पाए तो उसका सीनियर ऑफिसर शामिल हो। अभी पीछे क्या हुआ कि वे मीटिंग में नहीं आ पाए, सीनियर ऑफिसर को भेजा गया, उसको

बैठने नहीं दिया गया और उस मीटिंग में ऐसे फैसले लिए गए जिसकी वजह से बहुत बड़ा बर्डन सरकार के ऊपर पड़ा है which we though could have been avoided. बिना डिस्कशन के ही हो जाता है। इस चीज़ को एन्श्योर करने के लिए while taking financial decisions, the Finance Secretary or his representative should be present. That's all. This is the purpose of this amendment. उससे आगे इसको खत्म करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता . I stand for the autonomy of the universities.

श्री प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने जो शंकाएं व्यक्त की है, एक बार पहले भी हो चुका है । सेक्शन 35 इन्सर्ट किया गया था। यह सही है कि बर्डन स्टेट पर आएगा जब युनिवर्सिटी अनाप-शनाप फैसले लेगी। लेकिन एजैंडा सर्कुलेट होता है।

श्रीमी अ0व0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1345/jt-av/1

श्री प्रेम कुमार धूमल : क्रमागत

लेकिन ई .सी.की मीटिंग का एजैंडा सर्कुलेट होता है। उसमें सचिव (वित्त) और सचिव (शिक्षा) नॉर्मली जाते हैं। जब वे नहीं जाते हैं तो उनका कोई प्रतिनिधि जाता है।

Chief Minister: What happened the Finance Secretary was not able to attend a meeting and he sent some representative. उसको यह कहकर की फाइनैंस सैक्रैटरी आ सकता है आप नहीं आ सकते हैं , he went out. In the absence of Finance Secretary, many financial decisions were taken. मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि वहां पर सारे प्वाईंट ऑफ व्यू डिसकस हो सके।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अगर उसका प्रतिनिधि जा सकता है तो बाद में सैकिण्ड वाला जो पार्ट है, अगर उसका प्रतिनिधि गया भी तो भी उसके बाद there shall be a Finance Committee and its constitution, the term of office of its members other than ex-officio members shall be as laid down in the Statutes. All financial matters.....

मुख्य मंत्री : मैं तो ऐग्जैक्टिव कांउसिल की बात कर रहा हूं। जो फाईनैंस सैक्रेटरी है और ऐजुकेशन सैक्रैटरी है , they are both members of the Executive Council in which important financial decisions are taken. अगर किसी वजह से सैक्रैटरी न जा सके as he has so many departments to look after and is a busy person और वह अपने किसी सीनियर ऑफिसर को भेजे तो उसको बैठने नहीं देते and in the absence of the Finance Secretary important financial decisions have been taken without taking the view of the Finance Department.

श्री प्रेम कुमार धूमल : अगर अपग्रेडेशन, फिलिंग ऑफ पोस्ट्स, रिक्रूटमैंट्स और प्रमोशन ये सारा कुछ जो होना है अगर सारा ऐज ए डिपार्टमैंट ही आपने करना है तो it becomes a Government Department, not an autonomous University. अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री सुरेश भारद्वाज जी ने दिया है उसके निर्णय फॉर रीचिंग इम्पलिकेशन होंगे। हमारा यही सुझाव रहेगा कि इसको सलैक्ट कमेटी को रैफर कर दिया जाए। जब सारे मुद्दे पर चर्चा हो जाए तो उसमें ऑफिशियल भी

12.12.2014/1345/jt-av/2

अपना प्वाईंट ऑफ व्यू रख देंगे और युनिवर्सिटी के लोग भी रख दें तथा माननीय विधायक जिनको आप नोमिनेट करेंगे। उसके बाद सही निर्णय हो। यह इम्प्रैशन न जाए कि युनिवर्सिटी को हम एक तरफ कह रहे हैं कि आप फाइनैंस के मामले में सैल्फ डिपैंडैंट हो जाओ। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जो ऐग्जैक्टिव कांउसिल फैसला करेगी , वही होगा। रिक्रूटमैंट उसके अगेंस्ट होगी, प्रमोशन उसके अगेंस्ट होगी और अपग्रेडेशन उसके अगेंस्ट होगी। कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन्ज आयेंगी। इसलिए अगर आप इसको सलैक्ट कमेटी को भेजेंगे तो जैसे लोकायुक्त वाला पास हुआ यह भी पास हो जायेगा।

मुख्य मंत्री : फाइनैंस डिसिजन ऐग्जैक्टिव काऊंसिल करती है। Executive Council is the final authority. Financial matters are discussed in Executive Council. In fact, all matters pertaining to finances must come to Finance Committee first and then go to the Executive Council. जब ऐग्जैक्टिव काऊंसिल में आए तो यह होना चाहिए कि the Finance Secretary should be

present and if under any circumstances, he is not able to come and some senior officer comes, he should be allowed to attend that meeting and give his point of view on finance. After all, the meeting is presided over by the Vice-Chancellor and after that. final decision is taken by the Executive Council.

श्री ईश्वर दास धीमान : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा सरकार से अनुरोध है कि सबसे ऊंची बॉडी विश्वविद्यालय है और वह सारा----------

श्री बी.जे.द्वारा जारी

12.12.2014/1350/नेगी/ए.जी./1-

श्री ईश्वर दास धीमान.. जारी....

और वह सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखती है। अगर सेक्रेटरी, फाइनैंस और सेक्रेटरी, एजुकेशन नहीं होंगे तो इसकी महत्व बहुत कम हो जाएगी । मुझे लगता है कि इसकी डिग्निटी, इसकी सैंटिटी पर धब्बा लगेगा।

अध्यक्षः यह तो इन्होंने कह दिया है कि वे उसमें होंगे।

मुख्य मंत्री : किसी का डिग्निटी कम होने का , किसी का अथोरिटी कम होने का , ऑटोनॉमी कम होने का , कहां प्रश्न पैदा होता है ? यह प्रोसीज़र है। एक एग्जिक्युटिव कौंसिल होती है। एग्ज़िक्युटिव कौंसिल के अन्दर फाइनैंस , सेक्रेटरी और एजुकेशन , सेक्रेटरी , दोनों मैम्बर होते हैं। जो फाइनैंशियल मैटर होते हैं। .....(व्यवधान)....वहां पर वे डिसाइड होने चाहिए so that the Finance Secretary's point of view could also be reflected. Invariably he attends, but in case when he cannot come then his representative is not allowed to sit. ऐक्ट में केवल फाइनैंस, सेक्रेटरी लिखा है। Finance Secretary can come. उसका कोई सैकिण्ड आदमी नहीं आ सकता। We are only providing that in rare case when the Finance Secretary is not able to attend himself then in that case some senior officer of the Finance Department will attend on behalf of the Finance Secretary. That's all. The meeting is presided over by the Vice-Chancellor. Final decision is taken by the Executive Council.

अध्यक्षः जहां तक मैं समझ पाया हूं, ...(व्यवधान)....

श्री ईश्वर दास धीमानः अध्यक्ष महोदय, अगर युनिवर्सिटी में सब्सिट्यूट जाएगा तो यह कानूनी तौर पर हो जाएगा और ये लोग ऐसे होते हैं , सेक्रेटरी , फाइनैंस और.....(व्यवधान)....

Chief Minister: When Finance Secretary could not go, जब उनका दूसरा रिप्रेजेंटेटिव गया तो he was not allowed to sit. .... (व्यवधान)... They say that only Finance Secretary can come. ...(Interruption)... And important decisions were taken involving huge sums of money without taking the point of view of finance first.

12.12.2014/1350/नेगी/ए.जी./2

श्री ईश्वर दास धीमानः एक आपत्ति और भी है। भारद्वाज़ जी ने भी अपने शब्दों में कहा है1 लेकिन फाइनैंस कमेटी की जो रिकमैंडेशन्ज़ हैं, वित्तीय तौर पर, सर्विस के तौर पर, अगर एग्ज़िक्युटिव कौंसिल को फाईनैंस कमेटी से सैंक्शन लेनी पड़ेगी तो क्या यह सही है ? क्या यह एग्ज़िक्युटिव कौंसिल का पावर छिनना नहीं है? यही लिखा हुआ है, आप देखिए। ....(व्यवधान)...

Chief Minister: He is not understanding the matter. एग्ज़िक्युटिव कौंसिल आज भी मौजूद है। हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि in case Finance Secretary is not able to come personally then सीनियर रिप्रेजेन्टेटिव ऑफ फाइनैंस डिपार्टमैन्ट उनकी जगह पर जाए and he is entitled to sit and represent the Finance Department. That's all. उनके जाने से कोई फर्क नहीं है।

Shri Ishwar Dass Dhiman: May be considered not on the recommendation of the Finance Committee. ई.सी. को इतनी कमज़ोर कर दी गई कि वह बिना फाइनैंस कमेटी के रिकमैंडेशन के,.... (व्यवधान).... थोड़ा समय दिया जाए और इसका सोल्युशन निकाला जाए। अन्यथा युनिवर्सिटी के साथ यह ठीक नहीं हो रहा है। एक और बात , गवर्नर को तो पहले ही जाता था , जो कुछ भी वहां पास होता था। लेकिन अब गवर्नर भी फैसला तब दे देगा जब गवर्नमैन्ट की कंसल्टेशन होगी I Is it not interference of the Government in the autonomy of the University?

Chief Minister: Sir, I want to say that जहां तक एकेडेमिक मैटर्ज़ हैं the University has full powers. एकेडेमिक मैटर्ज़ में Government does not

interfere. Only in the financial matters the University Act itself provided for Executive Council. फाइनैंशियल मैटर्ज़ में जिसमें कोई ऐक्सपेंडिचर होना है , वह एग्ज़िक्युटिव कौंसिल में जाएगी । यह ऐक्ट में भी प्रोवाइडिड है। उसके मैम्बर, एजुकेशन सेक्रेटरी भी होते हैं और फाइनैंस सेक्रेटरी भी होते हैं। हम यह कहते हैं कि अगर फाइनैंस सेक्रेटरी किसी वजह से नहीं जा सकते हैं तो...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी....

12-12-2014/1355/यूके/जेटी/1

मुख्य मंत्री --**जारी**--

तो उनकी जगह पर उनके कोई सीनियर आफिसर बैठ सकते हैं । That's all. This is a very small amendment. एटॉनामी का प्रश्न कहां पैदा होता है । We are all for the autonomy of the University. But we also want that every University which is funded by the State Government must have financial discipline also.

श्री सुरेश भारद्वाजः सर, माननीय मुख्य मंत्री जी को हम बड़ा सिम्पल सुझाव दे रहे हैं कि पूरी यूनिवर्सिटी की वर्किंग, जो इनकी पीड़ा है वह भी जायज है । यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए । लेकिन उसका इलाज ठीक ढंग से होना चाहिए । इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। पहले भी इन्होंने एटॉनामी खत्म करके सैक्शन 35-ए जोड़ा था । बाद में इसमें हमने अमैंडमैंट की थी । जो आज के फाईनैंस सेक्रेटरी हैं , आपके वे उस वक्त भी फाईनैंस सेक्रेटरी थे और इ0सी0 के मैम्बर थे और तभी जो फाईनैंस कमेटी हैं उसकी क्या पॉवर्स होंगी वह उसमें तय किया था । अगर एग्जैक्टिव कौंसिल आफ फाईनैंस कमेटी में कोई आपस में एग्रीमैंट न हो डिफरैंसिस ऑफ ऑपिनियन है तो चांसलर को फाईनल डिसीजन के लिए जायेगी और चांसलर का डिसीज़न फाईनल होगा । यहां पर ये जोड़ रहे हैं कि चांसलर का डिसीजन फाईनल नहीं होगा जब तक कि स्टेट गवर्नमैंट की कन्सनट्रेशन नहीं होगी । यह सैक्शन 28 में है ।

मुख्य मंत्री : जो इन्टरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, जो पॉवर आज हर फाईनैंशियल कमेटीज की है , वह रहेगी । There is no considerable change in the powers and functioning of the Executive Council. The only question is that the Finance Secretary is also the member of the Executive Council and if due to some reason he is not able to attend then his representative i.e. senior

officer should be present. That's all. We are not changing the format. We are not taking away any powers. It is a very small matter.

श्री सुरेश भारद्वाजः मेरा सैक्शन 28 पर कहना है क्योंकि सैक्शन 28 में आपने जो अब नयी अमैंडमेंट लायी है उसमें आपने रिक्रूटमैंट, प्रोमोशन, सब कुछ, फाईनैंशियल मैटर आज तक भी फाईनैंस कमेटी के पास ही होते थे। बिना फाईनैंस

12-12-2014/1355/यूके/जेटी/2

कमेटी की परमिशन के एग्जैक्टिव कौंसिल नहीं करती थी। और फाईनैंस कमेटी की जो मीटिंग जनरली होती ही फाईनैंस सेक्रेटरी के कमरे में है , यूनिवर्सिटी में नहीं होती। मैं बहुत सालों तक फाईनैंस कमेटी का मैम्बर रहा हूं। वे हमेशा फाईनैंस सेक्रेटरी के कमरे में मीटिंग करने के लिए जाते थे। उसमें हमारा विरोध नहीं है सिर्फ कि फाईनैंस कमेटी है। लेकिन फाईनैंस कमेटी को सारी पावर दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अकैडमिक मैटर भी वही करेंगे। अकैडमिक मैटर वहां अकैडमिक कौंसिल करती है। बोर्ड ऑफ स्टडीज करता है। अब तो फाईनैंस कमेटी करेगी। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एप्वायंट कौन होना है, वह फाईनैंस सेक्रेटरी और एजुकेशन सेक्रेटरी जो फाईनैंस कमेटी में होंगे, हिमाचल सरकार वो तय करेगी। अगर फाईनैंस कमेटी में नहीं होगा तो वह एग्जैक्टिव कौंसिल कर ही नही सकती क्योंकि ऐग्जैक्टिव कौंसिल तो फाईनल बॉडी है तो मेरा यह कहना है कि क्योंकि टोटल यूनिवर्सिटी की इकॉनॉमी इससे इरोड हो रही है।

Chief Minister: I don't know why he was so serious on this matter. Let me make it very clear that this Government stands for the autonomy of the University. There is no intention to interfere in the working of the University at all. आज भी एग्जैक्टिव कौंसिल है और फाइनैंस कमेटी एग्ज़िस्ट करती है। जिसमें एजुकेशन सेक्रेटरी होते हैं, फाईनैंस सेक्रेटरी होते हैं और आफिसर्स होते हैं and the Vice-Chancellor presides over the Committee. हम यह कह रहे हैं कि अगर किसी वजह से फाईनैंस सेक्रेटरी उस मीटिंग में न आ पाए तो उस सूरत में उनका कोई सीनियर आफिसर, जूनियर ऑफिसर नहीं है, सीनियर ऑफिसर should represent him. That's all. बाकी जो कोई चेंज नहीं चाहते हैं हमें। पता नहीं इनकी कौन सी दुखती रग पर मैने हाथ डाल दिया।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी----

12.12.2014/1400/SLS-AG-1

मुख्य मंत्री ...जारी

कहां कर रहे हैं?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, इसके द्वारा एगजक्टिव कौंसिल, अकैडमिक कौंसिल, बोर्ड ऑफ स्टडीज आदि सब-के-सब इस कमेटी के अंतर्गत आ जाएंगे और वही सब कुछ करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि युनिवर्सिटी की अथॉरिटीज कुछ भी नहीं कर सकेंगी ; इनकी ऑटोनोमी नहीं होगी। इसलिए मेरा सिंपल सा निवेदन है कि इस सैक्शन पर गौर करें। सैक्शन 21 में माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि इनका रिप्रजैंटेटिव जाएगा ; उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनैंस सैक्रेटरी प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैं और वह अपना सैक्रेटरी भेज सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो दूसरा सैक्शन है, वह युनिवर्सिटी की अग्जक्टिव कौंसिल को पूरी तरह से पंगु कर देगा , उसका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। आप इसे पढ़ लीजिए। यहां पर अधिकारी भी बैठे हैं और दूसरे सारे लोग बैठे हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि the Finance Committee will be all in all. Executive Council, Academic Council and Board of Studies will have no role at all. जब आप ऑटोनोमी चेंज कर रहे हैं , इसमें मेरा सिंपल सुझाव है कि आप सलैक्ट कमेटी को भेज दीजिए। आप इस बात को स्टडी कीजिए और स्टडी करने के बाद इसी को पास कर दीजिए ; हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। आपकी मैजोरिटी है और आप कभी भी पास कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत जरूरी नहीं है कि यह आज ही पास किया जाए। सलैक्ट कमेटी में भेजकर आप इसको आसानी से पास कर सकते हैं।

अध्यक्ष : सलैक्ट कमेटी को बिल तभी भेजा जाता है अगर उसमें कोई एनॉमली हो। इसमें कोई एनॉमली नहीं है। The question is whether the financial powers should be given to the Executive Council or not? That you want to say.

Chief Minister: You are saying it just to satisfy your ego. मैं यह कह रहा हूं कि there is no question of diluting the autonomy of the University in any way. But at the same time when you take important financial decisions which have to be borne by the State Exchequer, it is necessary that the matter is discussed in the Executive Council and Finance

12.12.2014/1400/SLS-AG-2

Secretary should be present in that meeting. In case the Finance Secretary is not able to come, some representative should be there. This is what we are keen for. Nothing else. उसमें क्या है?

12.12.2014/1400/SLS-AG-3

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड- 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड-1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बनें।

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' को पारित किया जाए।

12.12.2014/1400/SLS-AG-3

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

'हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक , 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 17)' पारित हुआ।

12.12.2014/1400/SLS-AG-4

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज(संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' पर विचार किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

जारी ..गर्ग जी

12/12/2014/1405/RG/JT/1

अध्यक्ष महोदय--------क्रमागत

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम एवं विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम एवं विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' को पारित किया जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि 'हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

('हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 12)' पारित हुआ)

12/12/2014/1405/RG/JT/2

<u>नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख</u>

अध्यक्ष : आज इस माननीय सदन में नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के आठ विषय लगे हुए हैं। अगर सदन की अनुमति हो, तो ये विषय सदन में प्रस्तुत हुए समझे जाएंगे? (माननीय सदस्यों ने इसके लिए अपनी सहमति व्यक्त की) संबंधित माननीय सदस्यों को उत्तर की प्रतिलिपियां आज ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी।

12/12/2014/1405/RG/JT/3

नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव होगा। अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2014 में सभा की निर्धारित न्युनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।'

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि 'यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2014 में सभा की निर्धारित न्युनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।'

तो प्रश्न यह है कि 'यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2014 में सभा की निर्धारित न्युनतम 35 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकार

अब यह सत्र समापन की ओर बढ़ रहा है और आज इसकी अंतिम बैठक है। माननीय मुख्य मंत्री और माननीय विपक्ष के नेता यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करुंगा कि यदि वे कुछ बोलना चाहें, तो बोल सकते हैं।

मुख्य मुंत्री : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र अब समाप्त हो रहा है और इसमें इस बार काफी विधेयक पास किए गए और काफी बहस हुई।----------जारी

एम.एस. द्वारा जारी

12/12/2014/1410/MS/AG/1

मुख्य मंत्री जारी---------

काफी बिल पास हुए हैं और बहस हुई है। प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं और चर्चाएं भी हुई हैं। बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में सत्र की सारी कार्यवाही सम्पन्न हुई है। इसके लिए सदन के दोनों पक्ष के माननीय सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुझे दुःख है कि बैठक के दिन साल के लिए जितने निर्धारित थे, उनको हम पूरा नहीं कर पाए। हमारी भविष्य में कोशिश होनी चाहिए कि जो मिनिमम डेज सत्र चलाने के लिए निर्धारित हैं, उससे ज्यादा हम सत्र को चलाएं ताकि विभिन्न विषयों पर अधिक -से-अधिक चर्चाएं हो सकें और इस सदन की जो गरिमा है, वह हमेशा के लिए कायम रहे। अध्यक्ष महोदय, आपका सत्र के सफल संचालन के लिए धन्यवाद करता हूं और पक्ष और विपक्ष, दोनों सदनों के माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में कोई कमी नहीं रखी। महत्वपूर्ण मुद्दे पेश किए गए और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सारी बैठकें बहुत अच्छे माहौल में हुईं और यह सत्र भी अच्छे ही माहौल में समाप्त हो रहा है। आप सबको बधाई। धन्यवाद, जयहिन्द।

अध्यक्षः अब माननीय विपक्ष के नेता कुछ कहेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, सात बैठकों वाला यह सत्र आज समाप्त हो रहा है। पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहलू हैं और विधान सभा हो चाहे संसद हो , लोकहित के मुद्दों पर चर्चा होती है। विपक्ष का कर्त्तव्य होता है कि जनहित के मुद्दों को उठाए और पक्ष यथाशक्ति उसका संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करता है। इस सत्र में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और यह भी सही है कि सभी मुद्दों पर किसी भी सत्र में चर्चा होना संभव नहीं है। जीवंत लोकतंत्र में मतभेद भी होता है। कई प्रश्नों पर तल्खी भी होती है लेकिन यह लोकतंत्र में ही संभव है कि आपसी समझदारी और लचक से उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। लोकतंत्र में आलोचना भी स्वाभाविक है। हम तो एक-दूसरे की ही आलोचना करते हैं लेकिन समाज का बहुत बड़ा अंग भी लगातार नजर गड़ाए रहता है और कई बार वे बायकॉट और वॉकआउट में अंतर नहीं समझते हैं। प्रजातंत्र में वॉकआउट एक नॉर्मल प्रोटैस्ट है। कई बार चर्चा प्रारंभ की जाती है कि वॉकआउट न करें। वॉकआउट किस इश्यू पर हो रहा है? वह जनता का ही इश्यू है। उसके बाद जब पार्टिसिपेशन फुल होता है तो एक संतुलन बनता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने,उपाध्यक्ष महोदय ने, विधान सभा

12/12/2014/1410/MS/AG/2

सचिवालय ने और सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पक्ष और विपक्ष को इस सत्र को सफल बनाने में जो योगदान दिया है, उसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

12.12.2014/1415/जेके/एजी/1

श्री प्रेम कुमार धूमलः-----जारी---------

मैं मिडिया, इलैक्ट्रोनिक और प्रिंट मिडिया का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने जनहित के मुद्दे लोगों और प्रतिनिधियों तक पहुंचाए। हमारा सबका प्रयास रहना चाहिए कि जो मिनिमम सिटिंग्ज होती हैं वे पूरी होनी चाहिए। हमें पहले लगता था कि नवम्बर में बड़ा सैशन हो रहा है और फिर कहा गया कि दिसम्बर में बड़ा सैशन होगा। लेकिन जितना हुआ उतना ही हुआ इस करके प्रस्ताव 344 के तहत लाना पड़ा। हमारा भविष्य में यह प्रयास रहना चाहिए कि सहनशक्ति ज्यादा करनी पड़ेगी, विशेष करके सत्तापक्ष को। क्योंकि आलोचना उसी की होगी जो सत्ता में होगा। अगर वे सहनशक्ति दिखाएं तो निश्चित तौर पर सोहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो सकता है, जैसे इस बार हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इस कलेंडर ईयर का यह अन्तिम सत्र था। अब विधान सभा में हम अगले नव वर्ष में मिलेंगे। मैं आपके माध्यम से सत्तापक्ष, विपक्ष, अधिकारी, कर्मचारी, मिडिया, प्रिंट मिडिया और इलैक्ट्रोनिक मिडिया तथा प्रदेश की जनता को शुभ-कामनाएं देता हूं। नव वर्ष की मंगल कामनाएं भी देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जैसे 50 प्रश्न आज एक दिन में लगे थे आगे से इसमें संतुलन बढ़ाया जाए। अगर आप प्रतिदिन इस तरह से डिस्ट्रिब्युशन करेंगे तो स्मूथ कार्यवाही हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

12.12.2014/1415/जेके/एजी/2

अध्यक्षः इस सत्र की 7 बैठकें आयोजित हुई। इन बैठकों के दौरान जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा एवं वाद-विवाद हुआ। माननीय सदस्यों ने जो

चर्चा के विषय उठाये और जो सार्थक सुझाव दिए उनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। नियम-62 के अन्तर्गत 5 विषयों पर चर्चा की गई। नियम-101 के अन्तर्गत तीन गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए जिन पर सार्थक चर्चा की गई। नियम-130 के अन्तर्गत प्रदेश हित से जुड़े 5 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई तथा बहुमुल्य सुझाव दिए गए। इस सत्र के दौरान कुल मिला कर 200 तारांकित तथा 110 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध करवाए गए। सरकारी विधेयक भी सभा में पुरःस्थापित एवं पारित हुए। नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से 22 विषय सभा में उठाये गये तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की सूचना सभा को दी गई। सभा की समितियों ने भी 48 प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत एवं उपस्थापित किये। इसके अतिरिक्त मंत्रियों द्वारा अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए वे भी बधाई के पात्र हैं।

मैं, माननीय सदन के नेता, श्री वीरभद्र सिंह जी और माननीय विपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार धूमल जी का धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस सदन के संचालन में पूर्ण सहयोग और मार्ग दर्शन दिया। इसके साथ आप सभी माननीय मंत्री महोदय, मुख्य संसदीय सचिवों एवं साथी विधायकों का भी धन्यवादी हूं कि आपने सभा की कार्यवाही के संचालन में मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मैं, इस बात के लिए भी आपको बधाई देना चाहता हूं कि तपोवन, विधान सभा परिसर में भी आपने ई-विधान प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। जिसके लिए मैं विधान सभा व ई-विधान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रणाली को कम से कम समय में स्थापित कर इसमें सफलता प्राप्त की है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

12.12.2014/1420/SS-AG/1

अध्यक्ष क्रमागतः

कि उन्होंने इस प्रणाली को कम-से-कम समय में स्थापित कर इसमें सफलता प्राप्त की है। मैं हिमाचल के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने दिन रात कार्य करके विधान सभा सत्र से संबंधित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रोनिक मीडिया के पत्रकार बन्धुओं ने भी सदन की कार्यवाही को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो भूमिका निभाई है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इससे पूर्व

कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करूं मैं अपनी तरफ से आप सभी को तथा प्रदेशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। इस सभा में उपस्थित सभी से मेरा निवेदन है कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्य एवं अधिकारी राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 12 दिसम्बर, 2014 **सचिव।**